कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें म.प्र.

क्रमांक / साख / विधि / 47 / 10 / 1876 भोपाल दिनांक 18-08-2010

प्रति,

उप / सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थायें
समस्त जिलें (म.प्र.)

विषयः— प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की आदर्श उपविधि में संशोधन करने बाबत्।

तैयनाथन कमेटी की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम में हु संशोधन के फलस्वरूप प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की आदर्श उपविधि में संशोधन किया जाना है। इस हेतु संशोधन का प्रारूप एवं संशोधित उपविधि की प्रति संल प्रेषित है। समस्त जिला अधिकारी, अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत समस्त प्राथमिक कृषि सा सहकारी संस्थाओं की उपविधियों में प्रस्तावित संशोधन म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 19 की धारा 12(1) के अन्तर्गत निश्चित समयावधि में कर संगामीण संयुक्त पंजीयक एवं इ कार्यालय को अवगत करावें।

संलग्न :— प्रस्तावित संशोधन।

(अरुण पाण्डेय)
पंजीयक,
सहकारी संस्थायें म.प्र.
भोपाल दिनांक 18-8-2

क्रमांक / साख / विधि / 47 / 10 / 1876

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी माननीय सहकारिता मंत्री म.प्र. शासन।
3. मुख्य महाप्रबंधक राष्ट्रीय कृषि ओर ग्रामीण विकास बैंक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल।
4. प्रबंध संचालक म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल।
5. संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें समस्त संभाग, म.प्र.।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. समस्त म.प्र.।

पंजीयक,
सहकारी संस्थायें म.प्र.

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित.....की उपविधि

1. संस्था का नाम, पता व कार्यक्षेत्र :–

इस संस्था का नाम प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था/वृहत्ताकार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था/कृषक सेवा सहकारी संस्था/आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित.....होगा ।

इस संस्था का पंजीकृत किया हुआ पता.....
स्थान.....डाकघर.....तहसील..... जिला.....
.....मध्यप्रदेश होगा। संस्था के पंजीकृत पते में किसी प्रकार के परिवर्तन होने पर उसकी सूचना पंजीयक तथा प्रत्येक सदस्य को 30 दिवस के अंदर भेजना अनिवार्य होगा।

इस संस्था का कार्यक्षेत्र निम्नांकित ग्रामों तक सीमित रहेगा :–

01	02	03
04	05	06
07	08	09
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30

2. परिभाषाएं :–

इन उपविधियों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(i) 'अधिनियम' का अर्थ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (1961 का 17 वां) से है।

(ii) 'सहकारी बैंक' का अर्थ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित..... से है।

(iii) 'शीर्ष बैंक' का अर्थ मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल से है।

(iv) 'उपविधि' का अर्थ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 9 के अंतर्गत संस्था की पंजीकृत उपविधि से है।

(v) 'कर्मचारी' का अर्थ है संस्था के कर्मचारी सेवानियमानुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी।

(vi) 'नियम' का अर्थ मध्यप्रदेश राज्य सहकारी सोसायटी नियम 1962 से है।

(vii) 'पंजीयक' का अर्थ रजिस्ट्रार या पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, मध्यप्रदेश या वह

अधिकारी, जिसे संस्था के संबंध में रजिस्ट्रार या पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु शासन ने प्राधिकृत किया हो, से है।

(viii)'राज्य शासन' का अर्थ, मध्यप्रदेश शासन से है।

(ix)'संचालक मंडल का अर्थ, अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत गठित संचालक मंडल जिसका गठन संस्था के कार्य संचालन हेतु हुआ हो ।

(x)'सहकारी वर्ष' से तात्पर्य 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से है।

(xi)'सेवानियम' का अर्थ अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश द्वारा अनुमोदित सेवानियमों से है ।

(xii)'संस्था ' का अर्थ उपविधि क्रमांक–1 में वर्णित संस्था से है।

(xiii)'नाममात्र सदस्य' से तात्पर्य ऐसे सदस्य से है, जिसका संस्था के प्रबंध निर्वाचन या लाभ में कोई भाग नहीं है।

(xiv)'वित्तदायी बैंक' से तात्पर्य उस बैंक से है, जो संस्था को उसके कार्य व्यवहार हेतु ऋणों की आपूर्ति करता है।

(xv)'प्रतिनिधि' से अभिप्राय है, संस्था का ऐसा सदस्य जो इस सोसायटी का प्रतिनिधित्व अन्य सोसायटी में करें ।

(xvi)'विनिर्दिष्ट' पद का अर्थ, संस्था के अध्यक्ष या सभापति और उपाध्यक्ष या उप सभापति के पद से है।

(xvii)'कार्यक्षेत्र' से अभिप्रेत जहां से सदस्यता ली जाती है या संस्था की उपविधि–क्रमांक–1(स) में विनिर्दिष्ट इकाई से है।

(xviii)'अनुसूचित क्षेत्र' से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र आदेश 1977 के अधीन मध्यप्रदेश हेतु घोषित किया गया हो ।

(xix)'अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग'से तात्पर्य उन वर्गो से है, जैसा कि अधिनियम एवं नियम में वर्णित तथा मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना द्वारा जारी किया गया हो।

(xx)'नगरीय क्षेत्र' से तात्पर्य नगर पालिक निगम, नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत क्षेत्र के रूप में मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित भाग से है।

3. संस्था के उद्देश्य :–

इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्था निम्नांकित कारोबार की मदों में से एक अथवा अधिक को संचालित करेगी :–

(1) उपविधि क्रमांक 4 (एक) (ब) में बताए गए अथवा इस दिशा में स्वीकृत अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने सदस्यों को ऋण देने हेतु सदस्यों से निधियां/उधार लेना।

(2) (अ) कृषि साधन जैसेः–बीज, उर्वरक, रासायनिक खाद, पशु आहार, कुटीर उद्योग के साधन जैसे – कच्चा माल, औजार तथा घरेलू उपकरण एवं गृहोपयोगी अन्य वस्तुएं प्राप्त करके ऋण या नगदी पर प्रदाय करना।

(ब) कृषि यंत्र जैसेः– हल, बखर, टोची, गुरमा, उडावनी, पंखा उत्यादि प्राप्त करके बेचना तथा किराए पर देना।

(3) उपभोक्ता सामग्रियों एवं ग्रामीण जीवन की उपयोगी अन्य सामग्रियों के वितरण की व्यवस्था करना तथा इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उपभोक्ता भण्डार चलाना।

(4) (अ) कृषि उपज के विक्रय की व्यवस्था करना तथा इस उद्देश्य से सदस्यों के माल के तारण पर ऋण देना अथवा उसके पुनः तारण पर ऋण प्राप्त करना।

(ब) कुटीर उद्योगों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की बिक्री का प्रबंध करना।

(5) नैसर्गिक (आर्गेनिक) तथा हरे, खाद उत्पादन की व्यवस्था करना।

(6) उपविधि क्रमांक–4(10) के प्रतिबंध के अधीन, धान से चावल निकालने का हालर, आटा चक्की, तेल, धानी, बिनौला पेरने की धानियां, जीन आदि प्रक्रिया यंत्र तथा ट्रेक्टर यंत्रित हल, पम्प आदि सदस्यों के लाभार्थ स्वयं खरीदना अथवा किराए पर लेना।

(7) पानी ऊपर उठाकर सिंचाई योजनाएं प्रारम्भ करना।

(8) राष्ट्रीय बचत योजना का प्रचार करना व उसे चलाना और ऊपर (1) (2) (3), (4) तथा (6) में बताए कारोबार की मदों के लिए कमीशन एजेंट के रूप में कार्य करना।

(9) स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना ।

(10) अपने सदस्यों के लिए उपयोगी तथा लाभदायक रोजगार की व्यवस्था करना ।

(11) प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन बीज भण्डार स्थापित करना।

(12) (अ) संस्था अपने सदस्यों की कृषि उपज की सुरक्षा हेतु फसल बीमा सुनिश्चित करावेगी।

(ब) संस्था कार्यक्षेत्र के सदस्यों तथा नामगात्र के सदस्यों के पशुओं एवं अन्य सम्पत्ति का बीमा करने हेतु एजेन्ट के रूप में कार्य करेगी।

(स) स्था अपने सदस्यों तथा नाममात्र के सदस्यों का जीवन बीमा एवं सामान्यतया अन्य बीमा करने हेतु एजेन्ट के रूप में कार्य करेगी।

(13) अच्छी नस्ल के सांड़ों, भेडों, बकरों तथा मुर्गो आदि के द्वारा पशु नस्ल सुधार के कार्य करना, पशु संवर्धन केन्द्रों को चुनना तथा जुताई के लिए बैल रखना ।

(14) अपने सदस्यों की उपज के संग्रह के लिए गोदाम स्वयं रखना, निर्मित कराना, किराए पर लेना, जिससे कि कृषि उपज लाभदायक मूल्यों में बिक सके ।

(15) कृषि प्रदर्शनी के द्वारा अपने सदस्यों को कृषि के नए सुधारों का ज्ञान करने के लिए भूमि प्राप्त करना, खरीदना अथवा पट्टे पर लेना।

(16) अपने सदस्यों के हितों को प्रभावित करने वाली समस्त समस्याओं को सहकारी रीति के द्वारा निपटाना तथा लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए प्रयत्न करना।

(17) अपने कार्यक्षेत्र में मित्रता एवं भाईचारे की भावनाएं उत्पन्न करना, मनमुटाव एवं लड़ाई झगड़ों को रोकना तथा सच्ची नागरिकता का विकास करना, क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु लोगों को स्वयं सेवा हेतु संगठित करना तथा उनके जीवन स्तर को उठाना तथा उसके लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(18) सदस्यों के उत्पादन कार्यक्रम बनाना या उसमें सहयोग देना।
(19) उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के अलावा भी ग्रामीण भूमि की खेती एवं व्यवस्था सहित अपने कार्यक्षेत्र के ग्राम अथवा ग्रामों के कृषि सुधार एवं सामान्य विकास संबंधी कार्य करना ।
(20) उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निधियां एकत्रित करना तथा सामान्यतः ऐसे समस्त कार्य करना, जिनसे सदस्यों के आर्थिक हितों की उन्नति हो व जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में आवश्यक हो।
(21) संस्था किसी भी सहकारी संस्था, किसी सरकार के उपक्रम या राज्य सरकार के अनुमोदन से सहयोग, सहभागिता, साझेदारी में कोई भी कार्यक्रम, व्यवसाय या व्यवस्था कर सकेगी।
(22) नाबार्ड द्वारा व्यवसाय विविधीकरण की दिशा में संस्था के सदस्यों को दी जाने वाली सुविधाओं की जारी सूची के उद्देश्यों के लिये कार्य करना।
(23) ऋण व्यवसाय तथा कृषि आदान व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय से होने वाली आय में से संस्था के कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप राशि प्रदान करना।

4. (एक) सदस्यों को दी जाने वाली सेवाएं :–

अ) ऋणों की स्वीकृति :– संचालक मंडल द्वारा ऋण केवल संस्था के सदस्यों को ही स्वीकृत किए जा सकेंगे, ऋण के प्रार्थना पत्र, इसके लिए निर्धारित फार्म में भरकर, प्रबंधक को प्रस्तुत किए जावेंगे। यदि संचालक मंडल ने ऋणों की स्वीकृति के लिए उपसमिति बनाई हो तो, प्रबंधक ऐसे समस्त प्रार्थना पत्रों की जांच एवं सिफारिश के साथ ऐसी उपसमिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगा और इसके पश्चात संचालक मंडल के समक्ष स्वीकृति के लिये रखेगा। यदि संचालक मंडल ने ऐसी कोई उपसमिति नहीं बनाई हो तो, प्रबंधक समस्त ऋण के प्रार्थना पत्रों की जांच करके स्वीकृति के लिये संचालक मंडल के सामने रखेगा।
(ब) (एक):– कर्ज केवल निम्नलिखित कार्यो के लिए दिए जावेंगे :–
(i) बीज, खाद व रासायनिक उर्वरक और कृषि साधन एवं यंत्रों की खरीदी तथा खेती के अन्य खर्चों के लिए।
(ii) चारा, जैसे–घास, कडवी, भूसी, सर्की, खली आदि की खरीदी के लिए ।
(iii) बैलगाड़ियां खरीदी अथवा बनाने के लिए ।
(iv) सदस्यों के परिवार जनों के शैक्षणिक व्यय हेतु ।
(v) पशुपालन हेतु पशुओं के क्रय व उनके संवर्धन हेतु
(vi) कृषि आधारित सहायक यंत्रों के उपकरणों के क्रय हेतु ।
(vii) भूमि सुधार, भूमि खरीदी व सिंचाई, कुए की खुदाई, सफाई व मरम्मत, नालों पर बांध बांधना आदि के लिए ।
(viii) रहने के मकानों अथवा पशु घरों के बनाने, खरीदने अथवा मरम्मत के लिए ।
(ix) कारीगरों को उनके उद्योग के लिए जरूरी यंत्र अथवा कच्चा माल खरीदी करने के लिए।

(x) जीवन की दैनिक वस्तुएं खरीदने के लिए ।
(xi) धार्मिक कार्यो के लिए ।
(xii) चिकित्सा के लिए ।
(xiii) विवाह के लिए (दहेज को छोडकर)
(xiv) जन्म–मृत्यु के खर्चे के लिये ।
(xv) सहायक धंधे के लिए।
(xvi) सदस्यों की भूमि के बंधक पर भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा जारी निर्देशों के अधीन संस्था के उददेश्यों के अधीन सदस्यों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिये मध्यावधि/ दीर्घावधि ऋण देना ।
(xvii) अन्य ऐसे कार्यो के लिये जो संस्था के उद्देश्यों में वेष्ठित हो।
(xviii). कृषि संबंद्ध उद्देश्यों यथा पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन आदि के लिये।

(ब) (दो) :– जब उपरोक्त उद्देश्यों में से किसी के लिए ऋण दिया जाएगा, तो संचालक मंडल ऋण लेने वाले को, एक इकरारनामे के द्वारा इस ऋण की सहायता से उत्पन्न की गई सारी कृषि अथवा अन्य उपज अथवा उसका ऐसा भाग जो ऐसे ऋण की अथवा उसकी बची हुई राशि की वसूली के लिए जरूरी हो, इस संस्था अथवा विपणन सहकारी संस्था के द्वारा जिससे वह जुडी हो, बेचने के लिए तथा संस्था को ऐसी बिक्री के धन से, अपने ऋण अंथवा ऋणों/उनकी शेष रकमों की वसूली करने को अधिकृत करने के लिए बाध्य कर सकेगी। ऋणी सदस्य द्वारा पैदावार बेचने संबंधी अनुबंध को भंग करने पर अधिक से अधिक 1000 रूपये से दण्डित कर सकेगी, परन्तु दण्ड तभी अधिरोपित किया जा सकेगा जब संस्था/विपणन संस्था द्वारा उपज खरीदी की व्यवस्था की गई हो।

(ब) (तीन) :– बीज, उर्वरक, खाद, कृषि यंत्रों आदि के लिए, जहां तक संभव हो, संस्था अपने सदस्यों को ऋण इन वस्तुओं के रूप में ही देगी ।

(ब) (चार):– <u>सदस्यों को लेखा विवरण का प्रदाय</u> :–

संस्था अपने प्रत्येक सदस्य को प्रथम ऋंण के समय संचालक मंडल द्वारा निर्धारित प्रारूप में 'ऋण पुस्तिका' प्रदाय करेगी। सहकारी वर्ष, समाप्त होने के तीन माह के भीतर वर्ष के दौरान दिए गए उधारों तथा प्राप्त वसूली के संव्यवहार की प्रविष्टियां सदस्यों को प्रदान की गई ऋण पुस्तिका में की जाकर प्रबंधक द्वारा प्रमाणित की जावेगी।

(स) <u>ऋण के दुरूपयोग की दशा में वापसी आदि</u> :–
यदि संबंधित वित्तदायी बैंक की राय में संस्था द्वारा स्वीकृत किसी ऋण का दुरूपयोग किया गया हो, तो इस उपविधि के माध्यम से संस्था द्वारा बैंक को अधिकार दिया जाता है कि उस अवधि की समाप्ति, जिसके लिए कि ऋण स्वीकृत किया गया था, के पूर्व ही समस्त ऋण ब्याज सहित वसूली के लिए तत्काल आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करे एवं राशि वसूल करे। उपरोक्त प्रकार की वसूलियों के लिए संचालक मंडल के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होगी।

(द) वसूली की राशि वित्तदायी बैंक में जमा करना :–

(अ) ऋण की वसूली के अधिकतम सात दिन के अंदर संस्था के संस्था प्रबंधक एवं संस्था कर्मचारी ऋण की राशि बैंक या उसकी शाखा में जमा करेगा/करवायेगा। ऐसा न करने पर अमानत में खयानत समझा जावेगा और पुलिस को आपराधिक कृत्य हेतु प्रकरण सौंपा जा सकेगा।
(ब) संबंधित बैंक द्वारा जिन सदस्यों के नाम से ऋण स्वीकृत किए जाते हैं, उन्हीं को ऋण दिया जावेगा। यदि किसी कारण से उनको ऋण नहीं दिया जाता है तो वह पैसा बैंक को वापस किया जावेगा । बचा हुआ पैसा और किसी सदस्य को नहीं दिया जा सकेगा। ऐसा न करने पर अमानत में खयानत समझा जावेगा और अध्यक्ष, संस्था प्रबंधक/संस्था कर्मचारी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

4 (दो) **व्यक्तिगत सदस्यों की ऋण सीमा :–**

कोई भी सदस्य किसी भी संबंधित बैंक द्वारा समय–समय पर निर्धारित की गई ऋण सीमा अधिक का संस्था का ऋणी नहीं हो सकेगा। ऊपर बताई गई अधिकतम सीमा के भीतर कोई भी सदस्य उसके द्वारा धारित प्रत्येक 10 रूपए के अंश पर रूपए 100 से अधिक ऋण प्राप्त करने का अधिकारी नही होगा । हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्यों को कुल मिलाकर, एक सदस्य को दिए जा सकने वाले ऋण से अधिक ऋण नहीं दिया जावेगा।
संबंधित वित्तदायी बैंक समय–समय पर किसानों को दिए जाने वाले अल्पावधि एवं मध्यावधि ऋणों की प्रति एकड़ सीमाएं निर्धारित कर सकेंगे और संस्था को इन सीमाओं का पालन करना अनिवार्य होगा।

4 (तीन) **ऋणों पर ब्याज की दर :–**

सदस्यों द्वारा संस्था से प्राप्त किए गए ऋण पर देय ब्याज की दर, ऐसे अधिकतम ब्याज की दर के अधीन होगी जो वित्तदायी बैंक से प्राप्त ऋण की ब्याज दर तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित मार्जिन जो 2.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा को जोड़कर निर्धारित की जावेगी। शासन द्वारा समुचित ब्याज अनुदान दिये जाने की दशा में शासन द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जावेगा।

4 (चार) **ऋणों की प्रतिभूतियां :–**

ऋणों की प्रतिभूतियां निम्नलिखित में किसी एक अथवा अधिक रीति से ली जा सकेंगी:–
(1) ऋण लेने वाले की अमानत यदि संस्था में जमा हो तो उसके तारण पर, जो ऐसी अमानत की राशि के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।
(2) ऋण लेने वालों की व्यक्तिगत एवं सामूहिक जिम्मेदारी पर और ऋण लेने वाले

सदस्य के लिए एक अथवा अधिक सदस्यों की प्रतिभूति पर, किन्तु कोई भी सदस्य कुल मिलाकर, अपने द्वारा लिए गए प्रत्येक 10 रूपए के अंश पर 50 रू. से अधिक प्रतिभूति नहीं दे सकेगा, किन्तु प्रतिबंध यह है कि प्रतिभूति की नियत की गई ऋण सीमा में ऐसे ऋण की प्रतिभूति देने के लिए पर्याप्त गुंजाइश होना चाहिये ।

टिप्पणी :– इस खण्ड के अंतर्गत निर्धारित सीमा में तारण पर दिए गए ऋण की राशि, इस उपविधि के खण्ड (एक) में बताई व्यक्तिगत सदस्य को अथवा अविभाजित परिवार. के सदस्यों को साधारणतया दिए जा सकने वाले ऋण की अधिकतम राशि अथवा सदस्य अथवा सदस्यों द्वारा क्रय किए गए अंशों के अनुसार आंकी गई ऋण सीमा की राशि में शामिल नहीं होगी।

(3) प्रभारहीन भू–सम्पत्ति, जिस पर ऋण लेने वाले का पूर्ण स्वामित्व हो, के बंधक द्वारा अथवा उस पर संस्था के प्रथम प्रभार की घोषणा द्वारा, किन्तु ऐसा ऋण उस सीमा तक ही दिया जावे, जो कि संबंधित बैंक की सहमति से संस्था के संचालक मंडल द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन हो। किन्तु प्रतिबंध यह है कि स्वीकृत सीमा के अधीन कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अथवा शासन के पक्ष में प्रभारित भू–सम्पत्ति के द्वारा बंधक पर भी ऋण दिया जा सकेगा।

(4) ऋण लेने वाले की गृह सम्पत्ति एवं अन्य अचल सम्पत्ति के बंधक पर संस्था के प्रथम प्रभार की घोषणा पर ऋण दिया जा सकेगा जिस पर कि ऋण लेने वाले का पूर्ण स्वामित्व हो तथा संस्था या अन्य किसी का कोई प्रभार न हो, किन्तु ऐसा ऋण, ऐसी गृह सम्पत्ति के प्रमाणित मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

4. (पांच) ऋण के चुकाने की अवधि :–

प्रत्येक ऋण के भुगतान की अवधि ऋण के आशय के अनुसार संचालक मंडल द्वारा निम्नानुसार नियत की जावेगी :–

(1) चालू व्ययों के ऋण, जैसे :– लगान चुकाने के लिए, बीज, देशी खाद, रासायनिक खाद और अन्य कृषि खर्चो के वस्तु/नगद ऋण के लिये कारीगरों को आवश्यक कच्चे माल के लिऐ तथा जीवन के दैनिक उपयोग की वस्तुएं एवं पशुओं के चारे की खरीदी के लिए, उत्सव खर्चो के लिए, शैक्षणिक खर्चो आदि के लिये दिए गए ऋण 'अल्प अवधि के ऋण कहलावेंगे और उनका चुकारा वित्तदायी बैंक द्वारा निर्धारित अवधि/शर्तो के अधीन होगा यदि ऋण स्वयं के स्त्रोतों से दिया गया है तो चुकाने की अवधि संचालक मंडल द्वारा तय की जावेगी जो 6 माह से 18 माह के बीच होगी।

(2) कृषि यंत्रों एवं पशुओं की खरीदी के लिए, देशी गाडियां बनाने अथवा खरीदने, भू–सुधार एवं भूमि खरीदी के लिए, निवास गृहों एवं पशुओं के लिए छप्परों के बनाने व खरीद करने अथवा दुरूस्ती के लिए, कारीगरों को अपने उद्योग देने के लिए, फुटकर ऋणों के चुकारे के लिए, दुरूस्ती एवं निर्माण के फुटकर ठेकों के लिए तथा सहायक धंधों को स्थापित करने एवं चलाने आदि के लिए दिए गए ऋण 'मध्यम–अवधि के ऋण' कहलावेंगे और उनका चुकारा वित्तदायी बैंक द्वारा निर्धारित अवधि/शर्तो के अधीन

होगा यदि ऋण स्वयं के स्त्रोतों से दिया गया है तो चुकाने की अवधि संचालक मंडल द्वारा तय की जावेगी जो 15 माह से 5 वर्ष के बीच होगी।
(3) ट्रेक्टर ऋण, आवास ऋण आदि के लिये दिये गये ऋण दीर्धावधि कहलायेगें एवं उनका चुकारा 5 वर्ष से अधिक अवधि (भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा निर्धारित अधिकतम अवधि के अधीन) में किया जावेगा।
(4) ऋण किश्तें जहां तक संभव हो, इस प्रकार नियत की जावेगी कि उनके चुकाने का समय फसल की बिक्री के समय के साथ–साथ आवे व ऐसे समय पर आवे, जब किसान उसे चुका सकें। यदि किसी ऋण के भुगतान की अवधि एक वर्ष से अधिक हो तो ऋण की किश्तें बंधक पत्रक में स्पष्टतया, इस शर्त के साथ निर्धारित की जावेगी कि यदि मूल ऋण अथवा ब्याज की किसी राशि का नियत दिन को चुकारा न किया जावे, तो कुल राशि तत्काल वसूली योग्य होगी और संचालक मंडल तत्काल ऐसे ऋण लेने वाले का खाता अवरूद्ध कर सकेगा एवं बैंक की इस प्रकार की कुल बकाया राशि को वसूली करने का उसे अधिकार होगा।
(5) बैंक से ऋण की राशि प्राप्त होने के 7 दिन के अंदर वह संबंधित सदस्यों को प्रदान कर दी जावेगी।

4 (छः) <u>ऋण के खातों को अवरूद्ध किया जाना :–</u>

(1) जब कोई ऋण संचालक मंडल द्वारा दुरूपयोग के कारण निरस्त कर दिया गया हो तो उस सदस्य को स्वीकृत ऋण की शेष राशि प्राप्त करने से वंचित कर दिया जावेगा तथा संचालक मंडल ऋण लेने वाले को इस आशय की तथा ऋण की सुविधा से वंचित किये जाने के दिन तक शेष ऋण एवं उस पर ब्याज सहित संस्था को देय राशि की सूचना देगी । ऐसी राशि एक मुश्त वसूली के लिए जिले या क्षेत्र से संबंधित बैंक को अधिकार होगा ऐसे ऋण का दुरूपयोग करने वाले से कुल स्वीकृत ऋण का 3 प्रतिशत दण्ड वसूला जायेगा यदि ऋण नीति उपबंधित न हो ।
(2) जब कोई प्रतिभू मर जाए अथवा उपविधि क्र. 7 अथवा 8 के अनुसार सदस्य न रहा हो तो मूल ऋणी तत्काल इसकी सूचना संस्था को देगा और या तो उस पर शेष देय ऋण का चुकारा आखिरी दिन तक ब्याज सहित शीघ्र करेगा अथवा संचालक मंडल द्वारा स्वीकृति योग्य नया एक अथवा अधिक प्रतिभूति सहित नए बंधक पत्र संस्था के पक्ष में लिख देगा । यदि संचालक मंडल द्वारा नियत किए गए काल के भीतर ऋण चुकारे की व्यवस्था न की जावे अथवा नया प्रतिभू अथवा प्रतिभू–गण प्रस्तुत न किए जावे अथवा जब कोई सदस्य, जिसने अचल सम्पत्ति के बंधक पर संस्था से ऋण लिया हो, उसी सम्पत्ति के बंधक पर अन्यत्र ऋण प्राप्त करें, अथवा बिना संचालक मंडल की पूर्वानुमति संस्था के पास पूर्व से ही बंधक रखी गई सम्पत्ति को बेच दें, तो जिस अवधि के लिए ऋण दिया गया था, उसका ध्यान किए बिना सदस्य के ऋण का खाता अवरूद्ध कर दिया जावेगा और उपरोक्त खण्ड (1) के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी तथा उसे भविष्य के लिए ऋण सुविधा से वंचित कर दिया जावेगा।
(3) यदि कोई सदस्य किसी समय सदस्यता के अयोग्य हो जावे और इस कारण से उपविधि क्र.–7 के अंतर्गत उसका नाम सदस्यों की सूची से हटाया जावे अथवा यदि

कोई सदस्य उपविधि क्रमांक –8 के अनुसार संस्था से निकाला जावे तो संबंधित सदस्य के ऋण का खाता यदि कोई हो, तो अवधि जिसके लिए कि ऐसा ऋण दिया गया था, का ध्यान किए बिना तत्काल अवरूद्ध कर दिया जावेगा और ऋण लेने वाले द्वारा देय शेष धन की वसूली के लिए खण्ड (1) के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

4 (सात) <u>सदस्यों को दिये गये वस्तु ऋण का समायोजन</u> :–

(1) जब ऋण वस्तु के रूप में दिया जावेगा तो सदस्य के खाते में ऐसी वस्तु की बिक्री की कीमत नामे डाली जावेगी।
(2) संस्था प्रत्येक सदस्य के लिये एक खाता रखेगी, जिसमें नगदी ऋण तथा वस्तु के रूप में दिये गये ऋण अलग–अलग रखे जावेगे।

4. (आठ) <u>सदस्यों को आवश्यक वस्तुएं प्रदाय करना :–</u>

(अ) संचालक मंडल निम्नलिखित वस्तुएं अपने सदस्यों को नगद बिक्री/उधार या किराये पर देने की व्यवस्था कर सकेगा :–

(1) सदस्यों के कृषि साधन जैसे–बीज, खाद व कृषि यंत्र, पशुओं का चारा आदि ।
(2) सदस्यों के कुटीर उद्योग संबंधी आवश्यक वस्तुऐं जैसे– कच्चा माल, औजार आदि और
(3) सदस्यों की घरेलू आवश्यकताओं की वस्तुएं, जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुएं।

(ब) कृषि संबंधी औद्योगिक घरेलू एवं अन्य आवश्यक सामग्री की खरीदी करने के लिए संचालक मंडल साधारणतया सदस्यों के आढ़तियों (एजेन्ट) के रूप में कार्य करेगा, सामग्रियों की खरीदी आवश्कताओं के अनुसार ही की जावेगी । इस प्रकार के लेन–देन के हिसाब किताब ऐसे प्रारूपों में रखे जावेगें, जो पंजीयक /नाबार्ड द्वारा निर्धारित किये जावे ।

(स) खण्ड (ब) में चाहे कुछ भी लिखा गया हो संचालक मंडल को यह अधिकार होगा कि सदस्यों की पुख्ता और न्यूनतम जरूरतों का सामान प्रदान करने के लिये संस्था की चुकी हुई अंशपूंजी तक की राशि वस्तुओं को खरीदने में लगा सकता है। चुकी हुई अंशपूंजी से अधिक खर्च, सामूहिक खरीदी के सिद्धांत पर जो खण्ड (ब) में बताया गया, के अनुसार किया जा सकता है ।
(द) संचालक मंडल द्वारा प्रत्येक छमाही के अंत में शेष माल की जांच और आवश्यक छीजन की व्यवस्था की जावेगी ।

4. (नौ) सदस्यों की उपज की बिक्री :–

(अ) संचालक मंडल के सदस्य निम्नलिखित वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था कर सकेगें:–
(1) सदस्यों की कृषि उपज
(2) सदस्यों के कुटीर उद्योगों द्वारा बनाई गई वस्तुएं
(3) सदस्यों की उपज की बिक्री की व्यवस्था करते समय संचालक मंडल किसी हानि का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करेगा और केवल संबंधित सदस्यों के एजेण्ट के रूप में कार्य करेगा तथा संस्था की ओर से स्वामी के रूप में कोई कारोबार न करेगा । कारोबार में हुई किसी प्रकार की हानि का उत्तरदायित्व समिति पर न होकर संबंधित सदस्यों पर होगा । जब संचालक मंडल का कोई सदस्य संबंधित सदस्यों के प्रतिनिधि (एजेन्ट) के रूप में कार्य करेगा तो संबंधित सदस्य अथवा सदस्यों द्वारा प्रदत्त लिखित अधिकार पत्र के अंतर्गत ही ऐसा किया जा सकेगा। संचालक मंडल सदस्यों की स्पष्ट अनुमति के बिना व्यापारियों से वायदा व्यापार नही करेगा संस्था के गोदाम से कोई भी उपज तब तक नहीं हटाई जावेगी जब तक कि उन पर शेष मूल ऋण ब्याज शुल्क अथवा अन्य खर्चो का पूरी तरह से पहले चुकारा न कर दिया गया हो।
(ब) सदस्यों की ओर से किये जाने वाले विक्रय संबंधी लेनदेन रू. 10000/– से कम होने पर नगदी में तथा इससे अधिक होने पर एकाउन्ट पेयी चेक से किया जावेगा।
(स) संचालक मंडल द्वारा की गई बिक्री व्यवस्था पर यथा निर्धारित कमीशन लिया जावेगा ।
(द) प्रत्येक छैमाही के अंत में संबंधित सदस्यों को विधिवत सूचना देने के बाद संस्था के संरक्षण में रखे गये समस्त उपजों के शेष माल (Stock) की जांच की जावेगी। संचालक मंडल संस्था के गोदाम में जमा की गई उपज के ऊपर छीजन सिकुड़न आदि दरें नियत करने को सक्षम होगा और ऐसी दरें संस्था के सदस्यों पर बंधनकारी होगी ।
(इ) माल को सदस्यों द्वारा संस्था में रखते समय, संस्था द्वारा बिक्री के समय व संस्था द्वारा बिक्री के समय व संस्था द्वारा सदस्यों को सुपुर्द करते समय, प्रत्येक समय ऐसे माल के स्वरूप के अनुसार उसका परिमाण तोला, मापा अथवा गिना जायेगा। माल की ऐसी माप अथवा संख्या, लेन–देन के पहले का माल और लेन–देन के बाद का शेष माल, जैसा कि लेन–देन से संबंधित माल के परिमाण के गठित संबंधी सामान्य जोड़ या बाकी द्वारा विदित हो, दर्शाते हुए एक बिल दो प्रतियों में तैयार किया जावेगा। दूसरी प्रति सदस्यों को देकर मूल प्रति पर उसके हस्ताक्षर लिये जावेगें, जो शेष माल की छमाही जांच के समय उसके स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होने संबंधी सूचना पत्र (Notice) की तामीली का प्रतीक होगा। यदि शेष माल की छमाही जांच के समय किसी प्रकार संचालक मंडल द्वारा इन उपविधियों के अंतर्गत निर्धारित छीजन की दरों से अधिक माल की सिकुड़न अथवा कमी पाई जावे, तो संचालक मंडल तत्काल ऐसी कमी के कारणों की खोज करेगा। और यह निर्णय करेगा कि कमी या अधिक सिकुड़न के कारण हुई ऐसी हानि को संस्था वहन करेगी अथवा संबंधित सदस्य। इस प्रकार का निर्णय संबंधित सदस्यों के ऊपर बंधनकारक होगा।

(फ) (1) संचालक मंडल अपने सदस्यों में से एक को बिक्री के लिए नामांकित करने के लिये सक्षम होगा, जो विपणन सहकारी संस्था के माध्यम से उपज की बिक्री की व्यवस्था करेगा। ऐसे सदस्य के नामांकन की सूचना तत्काल विपणन सहकारी संस्था को दी जावेगी व इस कार्य को ठीक ढंग से चलाने के लिए संचालक मंडल सहायक नियम बना सकेगा।

(2) संस्था के संचालक मंडल का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ध्यान रखे कि सदस्यों को संस्था में बिक्री के लिए जमा की गई उनकी कृषि उपज का अच्छा और योग्य मूल्य मिले।

4. (दस) <u>प्रक्रिया यंत्र एवं अन्य यंत्र</u> :–

(अ) संचालक मंडल सदस्यों को उपयोग के लिये प्रक्रिया यंत्र, जैसे–चावल निकालने की मशीन, आटा चक्की, तेल घानी, कपास ओटने की मशीन, जीप आदि और सुधरे हुए कृषि यंत्र जैसे–ट्रेक्टर, यंत्रीकृत हल, पम्प आदि खरीदने अथवा किराये पर लेने पर सक्षम होगी।

(ब) ऐसे यंत्र केवल शासन से प्राप्त ऋण एवं सहायक अनुदानों द्वारा, जन संस्थाओं अथवा व्यक्तियों से प्राप्त चंदे अथवा स्वतंत्र अनुदानों के द्वारा अथवा इस आशय के लिये सदस्यों से एकत्रित की गई अमानतों अथवा इस उददेश्य हेतु निर्मित निधियों के द्वारा ही खरीदे जा सकेगें।

(स) संचालक मंडल ऐसे सहायक नियम व उनके अधीन शर्ते बनावेगी जिनके अंतर्गत सदस्य को ऐसे यंत्र किराये पर दिये जा सकेगें।

4. (ग्यारह) <u>बीज भण्डार</u> :–

(अ) सदस्यों को उन्नत बीज का कोष बनाने में सुविधा पहुंचाने के लिये प्रबंध समिति एक बीज भण्डार चलाने की व्यवस्था करेगी जिससे ऐसे सदस्यों को जिन्हें आवश्यकता हो, बीज ऋण के रूप में बोनी के लिये दिया जा सकेगा। बीज सदस्यों से अंशदान के रूप में लिये जावेगें तो ऋण लेने वालो को ऐसी शर्तो के अधीन, जो संचालक मंडल द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार निर्धारित की गई हो, ऋण के रूप दिये जावेगें।

(ब) संस्था बीज के सुरक्षित भण्डार के लिये ऐसे समुचित गोदाम का निर्माण करेगी अथवा किराये पर लेगी जिसमें कीड़े–मकोड़े से बीजों को हानि न पहुंच सके ।

4. (बारह) <u>पशुओं की नस्ल सुधारना</u> :–

(अ) संचालक मंडल नस्ल सुधार के लिये अच्छी नस्ल के सांड, मुर्गे–मुर्गीयां, बकरे आदि प्राप्त करने अथवा खरीदने हेतु तथा उनको कुछ चुने हुए सदस्यों के संरक्षण में रखने हेतु सक्षम होगा।

(ब) यह देखना संचालक मंडल का कर्त्तव्य होगा कि ऐसे पशु तथा पक्षी उचित भोजन

प्राप्त करें एवं उनका पूरा पोषण हो । उसका यह भी कर्त्तव्य होगा कि आवश्यकता पड़ने पर उनकी चराई एवं रोगग्रस्त होने की दशा में चिकित्सा सहायता का प्रबंध करें और यह देखें कि ऐसे नस्ल सुधार के पशु पक्षी स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद वातावरण में रखे जाते हैं।

(स) संचालक मंडल ऐसे पशुओं को सुरक्षित रखने, उनके द्वारा की गई सेवाओं के बदले लिये जाने वाले शुल्क आदि के संबंध में शर्तो सहित सामान्य नियम बनावेगा।

4. (तेरह) शासन की कल्याणकारी योजनायें :–

संचालक मंडल शासन की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत संस्था के सदस्यों और नाममात्र के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवश्यक ऋण उपलब्ध करायेगा। संचालक मंडल का यह भी कर्त्तव्य होगा कि वह शासन के निर्देश पर शासन द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करेगा। परन्तु इस कार्य में किसी प्रकार की हानि होने की दशा में इसकी प्रतिपूर्ति शासन से प्राप्त करेगी।

5 सदस्यता प्राप्त करने की पात्रता :–

(1) (क) संस्था के सदस्य वे व्यक्ति होंगे जो इन उपविधि संशोधन के पंजीकरण के समय संस्था के सदस्य एवं अमानतदार थे।

(ख) इन विधियों के पंजीयन के समय कंडिका 'क' में उल्लेखित सदस्यों को छोड़कर शेष सदस्य नाममात्र के माने जावेंगे।

(2) भविष्य में संस्था का सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्ति में निम्न अर्हतायें होनी आवश्यक है –

(i) वह संस्था के कार्यक्षेत्र का स्थायी निवासी हो और उसने संस्था की उपविधियों को पढ़कर/सुनकर/समझ लिया हो एवं मान्य कर लिया हो ।

(ii) उसका आचरण अच्छा हो ।

(iii) उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और जो अनुबंध करने में सक्षम हो, परन्तु मृत सदस्यों के अवयस्क उत्तराधिकारियों पर आयु का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। किन्तु अवयस्क को न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गये संरक्षक के माध्यम से ही सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जा सकेगा ऐसे सदस्य अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने संरक्षक के माध्यम से अधिकारों का उपयोग इन दायित्वों के अधीन रहते हुए कर सकेगें जो इन उपविधियों में अधिकथित हैं।

(iv) उसने कम से कम संस्था के एक अंश की राशि व प्रवेश शुल्क जमा कर दिया हो।

(v) उसे दिवालिया घोषित न किया गया हो ।

(vi) उसे राजनैतिक ढंग से सजा छोड़कर किसी नैतिकता संबंधी अपराध में दण्डित न किया गया हो, परन्तु यदि दण्ड की अवधि को 5 वर्ष व्यतीत हो जाये तो यह अयोग्यता लागू नहीं होगी ।

(vii) उसे किसी सहकारी संस्था अथवा शासकीय सेवा से निकाला (Dismis) न किया गया हो।

(viii) उसके कुटुम्ब का कोई ऐसा सदस्य जो कि उसके साथ सामान्य हित रखता है ऐसा कारोबार न करता हो जो कि संस्था द्वारा किये जा रहे कारोबार के समरूप हो

(3) वित्तपोषक बैंक भी संस्था का सदस्य बनने के लिये योग्य होगा।

(4) किसी अन्य प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का सदस्य इस संस्था का सदस्य न बन सकेगा जब तक वह उस संस्था से अनापत्ति न प्राप्त कर ले जिसका वह सदस्य है और इस संस्था का संचालक मंडल अनुमति न दे दे।

(5) समिति की सदस्यता पाने के लिये या अंश खरीदने के लिये समिति के प्रबंध के पास ऐसे फार्म पर, जो समिति ने निर्धारित किया हो, आवेदन देना होगा।

अ. ऐसा व्यक्ति जो अधिनियम, नियम या उपनियम के उपबंधों के अधीन सदस्यों के रूप में स्वीकृत किये जाने के लिये सम्यक रूप से अर्हित (योग्य)हो । संस्था में सदस्यता के लिये आवेदन पत्र प्राप्ति के दिनांक से सदस्यता के रूप में स्वीकृत माना जावेगा ।

ब. परन्तु पंजीयक या तो स्वप्रेरणा से किसी भी समय या संस्था या व्यथित व्यक्ति के ऐसे आवेदन पर जो ऊपर (अ) में वर्णित तारीख से 15 दिन के भीतर किया गया हो, संस्था या संबंधित व्यक्ति को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात पंजीयक को आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर आदेश द्वारा उस व्यक्ति के संबंध में आदेश में वर्णित कारणों से यह घोषित कर सकेगा कि वह संस्था की सदस्यता का पात्र नहीं है।

(6) राज्य शासन भी संस्था की सदस्यता का पात्र हो सकेगा किन्तु राज्य शासन को संस्था की सदस्यता के लिये इस उपनियम की उपधारा (2) में बताई बातें लागू नहीं होगी ।

(7). किसी संस्था को सदस्य संस्था के रूप में भर्ती किये जाने के दिन से दो वर्ष के भीतर न तो उसके द्वारा लिये हुए अंश वापस लेने का और न ही सदस्यता से त्यागपत्र देने का अधिकार होगा । इस अवधि के पश्चात वह प्रबंध समिति की स्वीकृति से अपने अंश वापस प्राप्त कर सकेगा अथवा सदस्यता से त्यागपत्र दे सकेगा किन्तु प्रतिबंध यह है कि उससे संस्था का कोई ऋण लेना शेष न निकलता हो और संस्था की कोई राशि लेना अवशेष न हो, जिसका कि वह प्रतिभू (Surity) हो ।

परन्तु यह भी कि संस्था की कुल अंशपूंजी के 1/10 भाग से अधिक की अंशपूंजी की वापिसी एक सहकारी वर्ष में नहीं की जा सकेगी। सदस्यता समाप्ति आवेदन स्वीकार कर अंशपूंजी वापिसी करते समय इस शर्त का पालन अनिवार्य होगा। अंशपूंजी की आधार गणना गत 31 मार्च तक संस्था की अंशपूंजी से होगा। यह भी कि अंशपूंजी वापिसी के समय यदि संस्था हानि में है तो अंशपूंजी वापिसी में सदस्य के दायित्व तक हानि का समायोजन अंश से करने के बाद शेष राशि वापिस की जा सकेगी।

(8). प्रत्येक सदस्य को रू. 5/– प्रवेश शुल्क जमा करना होगा तथा कम से कम एक अंश क्रय करना और सदस्यों के रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करना या हस्ताक्षर न कर पाने की स्थिति में अंगूठा निशानी लगाना आवश्यक होगा। किन्तु राज्य शासन तथा

वित्त पोषक बैंक को सदस्य होने पर प्रवेश शुल्क जमा करने एवं सदस्यों के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने से छूट रहेगी ।

6. सदस्यता पंजी :–

संस्था अपने सदस्यों की एक पंजी रखेगी, उसमें निम्नलिखित प्रविष्टयां की जावेगी –

(i) सदस्यता क्रमांक, प्रथमवार अंशपूंजी जमा होने का दिनांक.

(ii) सदस्यता प्रदान करने का संकल्प एवं दिनांक

(iii) सदस्य का नाम, पिता/पति का नाम, पता, उसकी आजीविका का साधन

(iv) सदस्य का वर्ग, अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य तथा महिला या पुरूष

(v) सदस्य के उत्तराधिकारी नामांकित व्यक्ति का नाम तथा दो साक्ष्यों द्वारा पुष्टि के हस्ताक्षर

(vi) सदस्य द्वारा उत्तराधिकारी के नामांकन का दिनांक

(vii) सदस्य द्वारा धारित अंश एवं कुल अंशपूंजी

(viii) सदस्य के हस्ताक्षर

(ix) सदस्यता समाप्ति का संकल्प/आदेश क्रमांक एवं दिनांक

(x) सदस्य का अन्य आवश्यक विवरण जैसे–स्वर्गवास होने पर मृत्यु दिनांक आदि

7 सदस्यता प्राप्ति की प्रक्रिया :–

(i) सदस्यता हेतु निर्धारित प्रारूप पर लिखित आवेदन, प्रवेश शुल्क तथा एक अंश की प्राप्ति के साथ संस्था में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/संस्था प्रबंधक के पास जमा करना होगा।

(ii) संस्था का मुख्य कार्यपालन अधिकारी/संस्था प्रबंधक ऐसे प्राप्त आवेदनों को क्रम से एक पंजी में पंजीबद्ध करेगा तथा संस्था के संचालक मण्डल की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

(iii) ऐसा व्यक्ति जो अधिनियम, नियम या उपनियम के उपबंधों के अधीन सदस्य के रूप में स्वीकृत किये जाने के लिये सम्यक रूप से अर्हित (योग्य) हो, संस्था में सदस्यता के लिये आवेदन पत्र प्राप्ति के दिनांक से सदस्य के रूप में स्वीकृत माना जावेगा।

(iv) परन्तु पंजीयक या स्वप्रेरणा से किसी भी समय या संस्था या व्यथित व्यक्ति के ऐसे आवेदन पर जो ऊपर (एक)-में वर्णित तारीख से 15 दिन के भीतर किया गया हो तथा संस्था या संबंधित व्यक्ति को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात पंजीयक, को आवेदन पत्र देने के दिनांक से 45 दिन के भीतर आदेश द्वारा इस व्यक्ति के संबंध में यह घोषित कर सकेगा कि वह उसमें वर्णित कारणों से संस्था की सदस्यता का पात्र नहीं है।

8 सदस्य बने रहने के लिये निर्बन्धन एवं शर्ते :–

(i) प्रत्येक सदस्य को सदस्य बनने के उपरांत भी सदस्यता हेतु निर्धारित सभी शर्तो एवं पात्रताओं की पूर्ति प्रत्येक समय करते रहना होगा ।
(ii) सदस्य के रूप में उस पर अधिरोपित कर्त्तव्यों के पालन में वह चूक नहीं करेगा।

9 सदस्यता से हटना/अन्तरण करने की प्रणाली :–

(अ) निम्नांकित दशाओं में स्वतः सदस्यता समाप्त हो जावेगी, जिसकी उसे विधिवत् सूचना दी जावेगी
(i) सदस्य के स्थायी रूप से पागल हो जाने पर अथवा उसके द्वारा संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करना छोड़ देने पर
(ii) कम से कम एक अंश का स्वामी न रहने पर ।
(iii) उपविधि क्रमांक 5 (7) के अनुसार अध्यक्ष को 3 माह पूर्व सूचना देने के पश्चात अंश वापिस ले लेने अथवा सदस्यता से त्यागपत्र दे देने पर ।
(iv) उपविधि क्रमांक 10 के अनुसार संस्था की आमसभा में सदस्यों के बहुमत के द्वारा अथवा संचालक मंडल के द्वारा संस्था की सदस्यता से निकाल दिये जाने पर ।
(v) दिवालिया हो जाने पर अथवा दिवालिया करार दिये जाने का प्रार्थना पत्र देने पर ।
(vi) मृत्यु हो जाने पर ।
(vii) किसी अपराध में दोषी ठहराये जाने पर जिससे उसका नैतिक पतन सिद्ध होता हो अथवा
(viii) उपविधि क्रमांक 5(2) (vii) में वर्णित अयोग्यता धारण करने पर
(ix) उपविधि के अनुसार संस्था द्वारा हटाये जाने पर या अधिनियम या उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार सदस्यता से निष्कासित/हटाये जाने पर या अधिनियम या नियमों एवं उपविधि के अंतर्गत सदस्यता हेतु अयोग्य हो जाने पर ।
(ब) (i) किसी सदस्य के स्वर्गवास हो जाने, उसकी सदस्यता नामांकित उत्तराधिकारी को अंतरित हो जावेगी परन्तु यदि उत्तराधिकारी नाबालिग है तो वह अपने अधिकार अपने संरक्षक द्वारा उपयोग कर सकेगा ।

(ii) कोई भी सदस्य अपने अधिकार आवेदन देकर अन्य सदस्यों को उसकी सहमति से अंतरित कर सकेगा। परन्तु उक्त अंतरण संचालक मण्डल के निर्णय उपरांत प्रभावी होगें।

10 सदस्यता से हटाना तथा उसकी समाप्ति :–

कोई सदस्य तदाशय हेतु आमंत्रित संचालक मंडल की बैठक में उपस्थित एवं मतदान की पात्रता रखने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा निम्नलिखित में

से किन्हीं कारणों से संस्था की सदस्यता से निष्कासित किया जा सकेगा–

(i) कोई ऐसा कार्य जिससे संस्था की साख को क्षति पहुंचने की संभावना हो या जिससे उसकी कुख्याति होने की संभावना हो, साशय करता है या,

(ii) मिथ्या कथनों द्वारा संस्था को जानबूझकर प्रवंचित करता है या,

(iii) कोई ऐसा कारोबार करता है, जो संस्था द्वारा किये जाने वाले कारोबार के समान हो, या जिसके संबंध में यह संभावना हो कि वह सोसायटी द्वारा किये जाने वाले कारोबार की प्रतिद्वंदिता में आता है, या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ उठाने की स्थिति में हो अपने द्वारा देय धनों का भुगतान करने में बार–बार व्यतिक्रम करता है या उपविधियों के किन्ही भी उपबंधों का अनुपालन करने में चूक करता है, या/और

(iv) उपविधि क्रमांक 5 में वर्णित सदस्यता संबंधी पात्रताएँ धारण करने में चूक करता है परन्तु कोई भी ऐसा संकल्प विधि मान्य न होगा, जब तक कि संबंधित सदस्य को उसे निष्कासित करने संबंधी प्रस्थापना की 15 दिन की सूचना या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा न दे दी गई हो और जब तक कि उसे अपने मामले के संबंध में संचालक मण्डल के समक्ष अभ्यावेदन करने का अवसर न दे दिया गया हो ।

(v) सदस्यता से निष्कासन की संसूचना संस्था द्वारा 15 दिवस में संबंधित को अधिनियम की धारा 86 के अनुसार दी जावेगी ।

(vi) नष्कासित सदस्य समिति के निर्णय की संसूचना प्राप्ति की तिथि से 30 दिवस के भीतर पंजीयक के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(vii) जिस सदस्य की सदस्यता समाप्त हो गई हो, संस्था द्वारा उसको देय धनराशि का भुगतान, सदस्य पर यदि कोई राशि बकाया हो तो उसके समायोजन के उपरांत, यदि कोई राशि शेष देय हो तो संस्था उसका भुगतान कर देगी, किन्तु यह सदस्य, सदस्यता समाप्ति की तिथि से 6 वर्ष तक संस्था के उन सभी ऋणों व उसके द्वारा दी गई जमानत के लिए देनदार होगा, जो उसकी सदस्यता समाप्ति की तिथि को थी ।

(viii) निष्कासित सदस्य के लिए अनिवार्य होगा कि उसके आचरण द्वारा संस्था को हुई हानि की वह प्रतिपूर्ति करे और उसके द्वारा संस्था को देय ऐसा धन उसके हिसाबों का निपटारा करते समय की जाने वाली कटौतियों में सम्मिलित होगा।

<u>11 सदस्यों के अधिकार :–</u>

(i) संस्था के वार्षिक बजट कार्यक्रम, आगामी बजट, गत वर्षों के व्ययों के वित्तीय पत्रक तथा अंकेक्षण टीप पर आमसभा में विचार करने के लिये सभी सदस्यों को समान मताधिकार होगा। सभी सदस्यों को आमसभा में भाग लेने तथा निर्णय में समान अधिकार होगा।

(ii) संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन में मत देने एवं अभ्यार्थी होने में सभी सदस्यों को समान अधिकार होगा।

(iii) परन्तु व्यतिक्रमी सदस्यों के निर्वाचन संबंधी अधिकार निलबिंत रहेंगे। जैसे ही ऐसे सदस्य व्यतिक्रम की राशि अदा कर देते हैं, उनका यह अधिकार, बहाल हो जावेगा।

(iv) सभी सदस्यों के अधिकार, अधिनियम, नियम, उपविधि में अन्यथा, उपबंधित स्थिति को छोड़कर समान होंगे।

(v) अधिनियम की धारा 28 के प्रावधानों के अंतर्गत अभिलेखों के निरीक्षण व प्रतिलिपियॉ प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

12 सदस्य की न्यूनतम सेवाओं के उपयोग, वित्तीय प्रतिबद्धता और बैठकों में भाग लेने संबंधी कार्य सम्पादन का निर्धारण :–

(i) प्रत्येक सदस्य को सोसायटी की समिति द्वारा निर्धारित अमानतें जमा करना आवश्यक होगा।

(ii) प्रत्येक सदस्य को संस्था द्वारा किये जा रहे उपभोक्ता सामग्रियों के विक्रय एवं अन्य व्यवसाय में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना आवश्यक होगा।

(iii) प्रत्येक सदस्य का दायित्व संस्था की साधारण वार्षिक आमसभा एवं विशेष आमसभा में उपस्थित होकर, उसकी विषय सूची पर विचार विमर्श एवं निर्णय में भाग लेने का होगा।

(iv) प्रत्येक सदस्य उस पर संस्था को देय सभी चुकारों को देय तिथि पर चुकाएगा, एक वर्ष से अधिक का व्यतिक्रम करने पर उसके निर्वाचन संबंधी समस्त सदस्यता के अधिकार निलम्बित रहेगें।

13 सदस्य द्वारा किसी देय राशि के भुगतान में दोषी होने के परिणाम :–

(i) सदस्य द्वारा लिये गये किसी ऋण अथवा ऋणों के संबंध में बारह मास से, अधिक कालावधि तक संस्था या किसी के प्रति त्रुटि करता है तो उसे संस्था के किसी भी निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

(ii) ऋणों की अदायगी में उपरोक्तानुसार चूक करने पर, जब तक कि वह पुराना ऋण, मय ब्याज, दण्ड ब्याज एवं अन्य देनदारियों सहित नहीं चुका देगा तब तक उसे कोई अन्य ऋण नहीं जाएगा।

(iii) लगातार तीन बार से अधिक ऋणों की अदायगी में व्यतिकम करने पर, उसे हमेशा के लिये ऋण देने पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा।

14. सहकारी संस्था की पूंजी का स्वरूप एवं राशि, यदि कोई :–

संस्था की पूंजी उपनियम क्रमांक 17 की व्यवस्था के अनुसार एकत्रित की जा सकेगी –

(i) सदस्यों से उन नियम तथा शर्तो के अधीन अमानतें प्राप्त करना जो वित्तदायी बैंक अथवा पंजीयक द्वारा अनुमोदित की गई हो ।

(ii) संस्था की अधिकतम ऋण सीमा समय–समय पर नाबार्ड/शीर्ष बैंक/वित्तदायी बैंक द्वारा निर्देशित सीमा तक होगी

(iii) संस्था की पूंजी तथा निधियों का उपयोग उपविधि क्रमांक 3 में बतलाये गये उद्देशों की प्राप्ति के लिये सीमित रहेगा।

(iv) संस्था की अधिकृत अंशपूंजी 50,00,000 रू. होगी, जो 10/– रू. के पांच लाख अंशों में विभाजित होगी । प्रत्येक सदस्य को कम से कम एक अंश धारण करना अनिवार्य होगा तथा कोई भी सदस्य 2000/– से अधिक अंश या 20000/–से अधिक अंशपूंजी धारित नहीं कर सकेगा । इस अधिकृत अंशपूंजी में शासन या वित्तदायी बैंक द्वारा किये गये अंशदान की राशि सम्मिलित नहीं होगी।

(v) संस्था से ऋण लेने वाले सदस्य को संस्था से प्राप्त ऋण के लिये रू. 100/– या उसके भाग के लिये रू. 10/– का एक अंश खरीदना जरूरी होगा। परन्तु संस्था यह प्रयत्न करेगी कि प्रत्येक सदस्य से उसकी स्वतः की दो एकड़ भूमि पर एक अंश के हिसाब से अंशपूंजी एकत्र की जावे, 5 वर्ष के अन्त में प्रत्येक सदस्य को अपने ऋण के 20 प्रतिशत तक अंशपूंजी देना होगा। परन्तु दीर्घावधि ऋण के लिये अंशपूंजी की सीमा 5 प्रतिशत रहेगी। अंशों के मूल्य का तीन वार्षिक अंशिकाओं में भुगतान किया जा सकेगा। परन्तु कोई सदस्य यदि चाहे तो अंशों का मूल्य का एक मुश्त भुगतान करने को स्वतंत्र होगा। यदि किसी अंश की अंशिका 6 माह से अधिक की अवधि के लिये चूक करता है तो उसकी जमा अंशपूंजी को जप्त कर लिया जावेगा, जो ऐसी संस्था की सम्पत्ति हो जावेगी। ऐसे अंशों का नवीनीकरण किया जा सकेगा। यदि उसके ऐसी जब्ती की संसूचना को 30 दिवस के अन्दर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित राशि अदा कर दी जावे। जब्त धन रक्षित निधी में जमा होगा।

(vi) संस्था में शासन की अंशपूंजी वेष्ठित होने पर संस्था अपनी साधारण अंशपूंजी मोचन निधि में अपने वर्ष के शुद्ध लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत राशि अंतरित करेगी।

15. अधिकतम पूंजी जो कि एक सदस्य धारण कर सके :–

(i) कोई भी सदस्य संस्था की प्रदत्त अशंपूंजी का 1/5 या रू. 20,000/– में से जो भी अधिक हो से अधिक अंश नहीं ले सकेगा ।

(ii) यदि कोई सदस्य उत्तराधिकार या किसी अन्य कारण कंडिका (i) में स्वीकृत अंश धारण करने की अधिकतम सीमा से अधिक का स्वामी हो गया हो तो संस्था का ऐसे अधिक अंशों को बेचने का अथवा संस्था की ओर से खरीद करने का और ऐसे खरीद अथवा बेचे गये अंशो द्वारा वसूल हुए धन को सदस्यों को सौंपने का अधिकार होगा।

16.सहकारी संस्था द्वारा अनुबंधित कर्ज में सदस्यों के दायित्व का स्वरूप तथा विस्तार:–

सदस्य का दायित्व संस्था द्वारा उसको प्रदत्त अंशो की राशि तक सीमित रहेगा, किन्तु जो संस्था से ऋण अथवा अमानतें आदि ले, ऐसे सदस्यों का दायित्व उनके अंशों के दर्शानी मूल्य के 10 गुने तक सीमित रहेगा।

17. सहकारी संस्था द्वारा धन इकट्ठे करने के माध्यम एवं प्रकार :–

संस्था की पूंजी निम्न प्रकार से एकत्रित की जा सकेगी:–

(i) अंशों द्वारा

(ii) सदस्यों से अमानतों द्वारा

(iii) सहकारी बैंक/वित्तदायी बैंक अथवा नाबार्ड द्वारा स्वीकृत अन्य स्त्रोतों से ऋण लेकर

(iv) रक्षित कोष द्वारा

(v) लाभ के द्वारा

(vi) शासन तथा स्थानीय संस्थाओं से स्वीकृत ऋणों के द्वारा

(vii) सदस्यों और गैर सदस्यो से चंदे तथा दान आदि लेकर

18. वे प्रयोजन जिनके लिए निधियों का उपयोग किया जा सके :–

संस्था की पूंजी तथा निधियों का उपयोग उपविधि क्रमांक 3 के बतलाये गये उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये ही सीमित रहेगा परन्तु यह भी कि जो निधि जिस कार्य के लिये निर्धारित होगी उसी में व्यय की जा सकेगी ।

19. सीमा तथा शर्ते जिसके अधीन निक्षेपों, ऋणों, ऋण पत्रों तथा अन्य निधियां एकत्रित की जा सकेगीं :–

(i) ऋण लेने वाले की अमानत यदि संस्था में जमा हो तो उसके तारण पर, जो ऐसी जमा अमानत की राशि के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ।

(ii) संस्था तत्समय प्रचलित विधि के प्रावधानों के तहत उपविधि कं. 17 में वर्णित प्रावधानों हेतु राशि प्राप्त कर सकेगी।

(iii) ऋण एवं ऋण पत्रों के द्वारा वित्तदायी बैंक एवं पंजीयक के द्वारा निर्धारित सीमा में ऋण एवं ऋण पत्र के रूप में निधि प्राप्त कर सकेगी ।

20. शासकीय एवं वित्तीय संस्थाओं की सहायता :–

(i) संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शासन या वित्तीय संस्था से पंजीयक द्वारा अनुमोदित रीति से ऋण, अनुदान या अन्य सहायता किसी भी रूप में प्राप्त कर सकेगी।

(ii) शासन की किसी योजना को क्रियान्वित करने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय या संस्थाओं को होने वाली हानि को शासन से अनुदान या आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त करेगी।

(iii) संस्था शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सदस्यों को ऋण उपलब्ध करावेगी ।

(iv) संस्था शासन के निर्देश पर शासन द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करेगी ।

(v) संस्था सदस्यों एवं नाममात्र के सदस्यों के हितों के लिये वित्तदायी संस्था द्वारा क्रियान्वित योजना लागू करेगी ।

21. अधिशेष का व्ययन :–

संस्था के सामान्य व्यवसायिक कार्य में लगी निधि के उपरांत यदि कोई धन अधिशेष बचता है तो उसे अधिकतम उपलब्ध ब्याज दर पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक या किसी अधिसूचित बैंक या शासन की बचत योजनाओं में विनियोजित कर सकेगी, जिसमें संस्था को अधिकतम् ब्याज मिले या पंजीयक द्वारा अनुमोदित्त योजनाओ में जमा कर सकेगी।

परन्तु जब तक संस्था पर वित्तदायी बैंक का ऋण शेष रहेगा, ऐसी राशि ऋण खाते में ही जमा की जावेगी।

22. विभिन्न निधियों, कोषों का गठन और उनका प्रयोजन :–

संस्था निम्नलिखित निधियों का निर्माण अपनी आय से अनिवार्यतः करेगी :–

(i) डूबन्त संदिग्ध ऋण निधि ।
(ii) मूल्य उतार–चढ़ाव निधि ।
(iii) भवन निधि ।
(iv) विकास निधि ।
(v) अतिदेय ब्याज निधि ।
(vi) अवक्षयण निधि ।
(vii) कल्याण निधि ।

इन निधियों का व्ययन पंजीयक द्वारा अनुमोदित नियमों के अध्याधीन उसी प्रयोजन के लिये नियत सीमा तक किया जा सकेगा।

23. संस्था अपने विभाजन योग्य लाभ में से निम्न निधियां निर्मित करेगी :–

(i) रक्षित निधि : शुद्ध लाभ का कम से कम 25 प्रतिशत राशि रक्षित निधि में जमा होगी, जिसको बैंक में पृथक खाते में जमा किया जावेगा तथा उस पर प्राप्त ब्याज को आय न मानकर निधि में वृद्धि माना जावेगा तथा इसका व्यय किसी भी कार्य में नहीं हो सकेगा।

(ii) साख स्थायीकरण निधि में 10 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत भवन निधि में।

(iii) इसके उपरांत लाभांश अदायगी के पश्चात शेष राशि विकास निधि में।

24. आम एवं अन्य विशेष बैठकें बुलाने की प्रणाली एवं उनके लिए गणपूर्ति :–

(i) संचालक मंडल द्वारा संस्था की साधारण सभा की वार्षिक बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अधिनियम की धारा 49 के प्रावधानों के अनुसार बुलाई जावेगी जिसमें अधिनियम की धारा 49 में वर्णित विषय तथा संस्था की उपविधि में आमसभा हेतु नियत सभी विषयों तथा अन्य आकस्मिक विषयों पर विचार किया जायेगा।

(ii) समिति किसी भी समय सोसायटी की विशेष साधारण सभा बुला सकेगी और वह

रजिस्ट्रार से या सदस्यों की कुल संख्या के 1/10 सदस्यों की लिखित अध्यपेक्षा होने के पश्चात एक माह के भीतर ऐसा सम्मेलन बुलाएगी।

(iii) साधारण सभा का सूचना पत्र, स्थान, दिनांक और सभा के समय का उल्लेख करते हुए, उसमें किए जाने वाले कामकाज के उल्लेख के साथ सम्मेलन के दिनांक के 14 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को तथा जिले के उप/सहायक पंजीयक को, नियम 34 (3) में उल्लेखित रीति से भेजा जावेगा।

(iv) यदि साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति न हो तो अध्यक्ष ऐसी साधारण सभा को किसी अन्य तारीख, समय और स्थान के लिए स्थगित कर सकेगा जो उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्धारित की जावेगी अथवा ऐसे समय और दिन के लिए जो कि साधारण सभा के लिए जारी किए गए सूचना पत्र में अंकित हो, स्थगित कर देगा। ऐसी स्थगित साधारण सभा में मूल साधारण सभा हेतु प्रस्तावित विषयों पर विचार किया जा सकेगा, किसी अन्य विषयों पर नहीं । किन्तु ऐसी साधारण सभा, जो संस्था के सदस्यों द्वारा लिखित प्रार्थना–पत्र पर बुलाई गई हो और जिसमें गणपूर्ति संख्या न हो तो वह सभा प्रभावहीन की जाकर तत्काल निरस्त कर दी जावेगी। विषयों पर उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा निर्णय लिया जावेगा। संस्था उपविधि में संशोधन का निर्णय उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा ही किया जा सकेगा । किसी विषय पर मत विभाजन होने पर, मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। परन्तु यह भी कि स्थगित साधारण सभा में बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

(v) साधारण सभा में विचार किये गये विषयों तथा उन पर लिये गये निर्णयों को कार्यवाही पुस्तिका में लिखा जावेगा तथा उस पर साधारण सभा के अध्यक्ष एवं सस्था के प्रबंधक के हस्ताक्षर कराये जावेगे।

(vi) साधारण सभा के कार्यवृत्त 30 दिवस के अंदर बैठक की अध्यक्षता करने वाले के हस्ताक्षर से बैठक में आमंत्रित सभी को भेजे जावेगें।

(vii) साधारण/विशेष आमसभा की बैठक के लिये गणपूर्ति, 1/10 सदस्यों या 50 सदस्यों में से जो भी कम हो, से होगी ।

25. आमसभा की बैठकें बुलाने की आवृत्ति :–

(1) प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा गत वार्षिक आमसभा की तिथि के 12 माह के भीतर बुलाई जावेगी। अर्थात एक बार वार्षिक आमसभा होना अनिवार्य होगा।

(2) विशेष साधारण सभा संस्था द्वारा आवश्यकता होने पर पंजीयक के निर्देश अथवा 1/10 सदस्यों की मांग पर कितनी बार भी बुलाई जा सकेगी।

26. आमसभा के कार्य एवं विषय :–

वार्षिक साधारण सभा में उन कार्यो के अतिरिक्त जो इन उपविधियों के अनुसार प्रस्तुत किये गये हों, निम्नांकित कार्य होगें:–

(1) इन उपविधियों के अनुसार संचालक मंडल का चुनाव/निर्वाचन कराना ।
(2) वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित आय–व्यय पत्रक, लेन–देन पत्रक तथा लाभ–हानि पत्रक पर विचार करना ।
(3) अधिनियम के प्रावधानानुसार शुद्ध लाभ का विभाजन, अंशों का लाभांश तथा पिछले वर्ष में सदस्यों द्वारा संस्था से की गई खरीद पर छूट (रिबेट) घोषित करना ।
(4) आगामी 12 माह के लिये संस्था से ऋण लेने के इच्छुक सदस्यों की, ऋण की अनुशंसा हेतु निर्मित तकनीकी समिति की सिफारिश पर विचार करते हुए अधिकतम सीमा निर्धारित करना।
(5) संस्था के वर्तमान तथा नये ऋणों तथा धरोहरों के रूप में लिये जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा तय करना तथा उन पर लिये जाने वाले अधिकतम ब्याज की दर भी निश्चित करना।
(6) आगामी वर्ष हेतु अनुमोदित आय–व्यय का लेखा (बजट) स्वीकृत करना ।
(7) संस्था के कार्य संचालन के लिये उपविधियों में, आवश्यक संशोधन, यदि कोई हो तो उन पर विचार करना ।
(8) संस्था के पदाधिकारियों के कार्यो की तथा उसके विरूद्ध समस्त शिकायतों की जांच करना ।
(9) संस्था में तारण पर रखी गई उपज के वर्गीकरण एवं संग्रह के लिये जो व्यवस्था की गई वह संतोषजनक है या नहीं पर विचार करना ।
(10) संचालक मंडल के सदस्यों को उनकी स्वयं की, उनके कुटुम्ब के सदस्य एवं निकट नातेदारों पर बकाया ऋण व अन्य अग्रिम की जानकारी से अवगत कराना होगा।
(11) संस्था को ऋणदाता बैंक या अन्य कोई केन्द्रीय अथवा क्षेत्रीय संस्थायें या अन्य संस्था से संबद्ध अथवा असंबद्ध करने हेतु निर्णय लेना।
(12) अन्य बातों पर विचार करना, जो संचालक मंडल अथवा सदस्यों की ओर से अध्यक्ष की पूर्वानुमति से प्रस्तुत की जावे ।
(13) संस्था द्वारा आगामी वर्ष के लिये तैयार कार्यक्रम का अनुमोदन तथा गतवर्ष क्रियाकलापों की समीक्षा।
(14) साधारण निकाय संस्था के कारोबार में सामान्य अनुक्रम में जो घाटा हुआ है उसके कारणों का परीक्षण करेगी तथा उसके आधार पर अधिनियम की धारा 43 (ख) के अनुसार संकल्प कर उत्तरदायित्व निर्धारित करेगी।

27. उपविधियां बनाने या संशोधन करने का तरीका :–

(1) उपविधियों में संशोधन यदि कोई है, तो विहित रीति से बुलाई गई संस्था की आमसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 (दो तिहाई) बहुमत से पारित किया जा सकेगा

तथा इसके लिये अधिनियम की धारा 11 के अनुसार पंजीयक के समक्ष आवेदन करना होगा जो कि अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों के अनुरूप इसका निराकरण करेगें।
(2) यह भी कि संस्था के कुल सदस्यों की संख्या के 1/2 सदस्यों के आवेदन पर या यदि स्वयं पंजीयक कोई संशोधन संस्था के हित में आवश्यक मानता है तो अधिनियम की धारा 12 की प्रक्रिया का पालन कर उपविधियों में संशोधन कर सकेगा।

28. निर्वाचन संचालन प्रक्रिया :–

संस्था के निर्वाचन तथा आरक्षण की प्रक्रिया अधिनियम एवं नियम में वर्णित तत्संबंधी प्रावधानों के अनुरूप रहेगी तथा इसके लिये पंजीयक द्वारा तत्संबंधी जारी विस्तृत दिशा–निर्देश एवं मार्गदर्शन का संस्था पालन करेगी संस्था के निर्वाचन अधिकारी को उक्त अधिनियम, नियम एवं पंजीयक के दिशा–निर्देशों एवं मार्गदर्शन के अध्याधीन निर्वाचन सम्पन्न कराने होगें।

29. पंजीयक द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन :–

(1) प्रत्येक संस्था अपने निर्वाचन ड्यू होने के 90 दिन पूर्व अपने निर्वाचन कराने हेतु, संस्था के संचालक मंडल के संकल्प के साथ पंजीयक को लिखित आवेदन प्रस्तुत करेगी।
(2) पंजीयक संचालक मंडल के कार्यकाल समाप्ति के 90 दिन के अंदर संचालक मंडल का निर्वाचन सम्पन्न करा सकेगें।
(3) यदि उपरोक्त अवधि में पंजीयक निर्वाचन नहीं करा पाये तो संस्था नियमानुसार स्वयं निर्वाचन करायेगी।
(4) इस प्रकार नियुक्त निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन प्रक्रिया हेतु उपनियम क्रमांक 28 का पालन करना होगा।
(5) यह भी कि संस्था अपने निर्वाचन अपने रांचालक मंडल के कार्यकाल समाप्ति के 90 दिन पश्चात से 180 दिन के पूर्व करा सकेगी। यदि संस्था ने पंजीयक के असफल रहने के पश्चात निर्धारित अवधि में अपने निर्वाचन सम्पन्न कराकर, नवीन निर्वाचित संचालक मंडल को प्रभार नहीं सौंपा तो वह अपने कार्यकाल समाप्ति के 180 दिन के बाद अपना प्रभार पंजीयक को सौंप देगा।
(6) यदि बर्हिगामी संचालक मंडल ने निर्धारित समय के पश्चात अपना प्रभार पंजीयक को नहीं सौंपा तो यह माना जावेगा कि पंजीयक ने संस्था का यह प्रभार ग्रहण कर लिया है अर्थात अपने कार्यकाल समाप्ति के 180 दिन पश्चात कोई संचालक मंडल संस्था में कार्यरत नहीं रह सकेगी।
(7) यदि कोई बर्हिगामी संचालक मंडल अपने कार्यकाल समाप्ति के 180 दिन पश्चात पंजीयक को प्रभार नहीं सौंपते हुए, स्वयं कार्य करता रहता है तो वह समस्त कार्य अवैध एवं अधिकारिता विहीन होगें, तथा इससे संस्था को होने वाली किसी क्षति के लिये वह समिति उत्तरदायी होगी ।
(8) बर्हिगामी संचालक मंडल से प्रभार ग्रहण करने या ग्रहण किया माने जाने के पश्चात

पंजीयक अपनी ओर से संस्था के कार्य संचालन हेतु एक प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा, जो कि पंजीयक के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करेगा।

(9) पंजीयक ऐसा प्रभार ग्रहण करने के पश्चात यथाशीघ्र संस्था के नवीन निर्वाचन करायेगा।

(10) यह भी कि यदि संस्था ने अपने निर्वाचन ड्यू होने के 90 दिन पूर्व संकल्प पारित कर पंजीयक से निर्वाचन हेतु निवेदन नहीं किया तो पंजीयक संचालक मंडल के कार्यकाल समाप्ति होने के अगले दिन ही प्रभार ग्रहण कर लेगा तथा संचालक मंडल अपना प्रभार पंजीयक को सौंप देगी। यदि वे ऐसा नहीं करती है तो उसके पश्चात उसके द्वारा किये गये समस्त कार्य अवैध होगें।

30. संचालक मंडल का गठन :–

(1) संस्था के कार्यों का प्रबंध, संचालक मंडल द्वारा किया जावेगा जिसमें एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष सहित कुल सदस्य होगें। संचालक मंडल का कार्यकाल 5 वर्ष होगा।

(2) संचालक मंडल के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एवं दो उपाध्यक्ष का चुनाव करेगें। दो उपाध्यक्षों में से एक महिला होगी तथा शेष अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के पदों हेतु वर्गवार आरक्षण अधिनियम में उल्लेखित अनुसार होगा।

(3) संचालक मंडल में निम्नानुसार सदस्य होंगे :–

(i) निर्वाचित सदस्य ग्यारह, जिसमें दो सदस्य महिलाएं होंगी।

(ii) वित्तदायी संस्था का नामांकित सदस्य– एक

(iii) संस्था का मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रबंधक पदेन– एक

(4) संचालक मंडल में निर्वाचित 11 सदस्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/महिला वर्ग तथा अनारक्षित पदों में संगणना अधिनियम की धारा 48, 48 (क) तथा अन्य धारा व नियमों में तत्समय प्रभावी प्रावधानों के अनुसार पंजीयक द्वारा की जावेगी, उसके असफल रहने पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जावेगी।

(5) सचालक मंडल के कार्यकाल के मध्य यदि अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक प्रतिनिधि का कोई पद रिक्त हो जाता है तो संचालक मंडल सर्वप्रथम उक्त पद रिक्त घोषित करेगी तथा उसकी सूचना ऐसे निर्णय के 7 दिवस में पंजीयक को देगी।

(6) ऐसे रिक्त पद की पूर्ति सहयोजन से होगी जो कि इस हेतु बुलाई गई बैठक में, पंजीयक द्वारा इस हेतु नियुक्त अधिकारी की अध्यक्षता में होगी संस्था ऐसे अधिकारी की नियुक्ति हेतु पंजीयक से संकल्प पारित कर, उसकी प्रति भेजकर निवेदन करेगी।

(7) यह कि संस्था की ओर से अन्य संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रतिनिधियों का निर्वाचन संचालक मंडल के निर्वाचित सदस्य अपने में से अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन के समय करेंगे। प्रतिनिधि किस वर्ग का होगा, यह अधिनियम की धारा 48(ख) के अनुसार पंजीयक द्वारा निर्धारित किया जावेगा। ऐसे प्रतिनिधि को संस्था तब तक वापस नहीं बुला सकेगी जब तक संस्था का नवीन निर्वाचन न हो जावे।

(8) संचालक मंडल में आरक्षित स्थान निर्वाचन अथवा सहयोजन से नहीं भरे जाने की

स्थिति में पंजीयक ऐसे रिक्त स्थान जो इन वर्गो के लिये आरक्षित है, का नामांकन उन्हीं वर्गो के सदस्यों में से करेगा।

(9) यह कि यदि निर्वाचन में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या संस्था के कोरम हेतु आवश्यक संख्या से कम हो तो शेष पदों हेतु सहयोजन या निर्वाचन न होकर शेष पदों हेतु पुनः निर्वाचन होगा।

31. संचालक बनने की पात्रता एवं संचालकत्व बनाये रखने की शर्त :–

कोई भी व्यक्ति संचालक मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित सहयोजित एवं नामांकित होने योग्य न होगा और उस रूप में अपने पद पर न रहेगा, यदि :–

(1) उसने सोसायटी की सदस्यता हेतु निर्धारित योग्यता समाप्त कर दी है।

(2) कोई भी व्यक्ति, संचालक मंडल के सदस्य, प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन सहयोजन एवं नामांकन हेतु अभ्यर्थी होने के लिए अर्हित नहीं होगा, यदि वह उस सोसायटी या किसी अन्य सोसायटी के प्रति, किसी कृषि उधार या अग्रिम के लिए 12 माह से अधिक अवधि के लिए व्यतिक्रमी रहता है, जो उसने उस संस्था से उसके सदस्य के रूप में प्राप्त किए हों तथा कृषि से भिन्न किसी उद्देश्य हेतु लिये गये उधार या अग्रिम के लिये 90 दिन से अधिक अवधि के लिये व्यतिक्रमी रहता है जो उसने उस संस्था से उसके सदस्य के रूप में प्राप्त किये हो।

(3) कोई भी व्यक्ति संचालक मंडल, सोसायटी के प्रतिनिधियों के किसी निर्वाचन, सहयोजन एवं नामांकन में मत देने के लिये हकदार नहीं होगा यदि वह उस सोसायटी या किसी अन्य सोसायटी के प्रति किसी ऐसे उधार या अग्रिम के लिये उसने ऐसी सोसायटी के सदस्य के रूप में लिया है, 12 माह से अधिक कालावधि के लिये व्यतिक्रमी रहता है। यदि वह संचालक है तथा अपनी पदावधि में 12 माह से अधिक के लिये व्यतिक्रमी हो जाता है तथा इसके बाद वह ऐसी राशि अदा कर देता है तो भी वह अपने वर्तमान पद से अपात्र होगा। परन्तु यह भी कि राशि अदा कर आगामी निर्वाचन में भाग ले सकेगा।

(4) संस्था में किसी लाभ के पद को स्वीकार कर ले ।

(5) अधिनियम व नियमों के किसी प्रावधान के तहत संचालक मंडल में पदधारण करने के लिये अयोग्य हो गया हो ।

(6) उसी प्रकार का धंधा करता हो जो संस्था करती हो।

(7) संस्था के किसी कर्मचारी का निकट संबंधी हो या हो जाए।

(8) निर्वाचन सहयोजन एवं नामांकन दिनांक के 45 दिन से अधिक समय से पूर्व संस्था का सदस्य न हो। परन्तु यह प्रतिबंध संस्था के पंजीयन के पश्चात संचालक मंडल के होने वाले प्रथम निर्वाचन सहयोजन एवं नामांकन के समय लागू नही होगा।

(9) वह केन्द्र या राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रम या स्थानीय शासन या सहकारी सोसायटी की सेवा से हटाया गया हो ।

(10) अधिनियम की धारा 49, 50 अथवा 53 में अयोग्यता धारण करने पर उस कालावधि

के लिये जैसा कि आदेश में दर्शित हो ।

32. संचालकों, अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों के पद की अवधि :–

संचालक मंडल जिसमें अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी होंगे, का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा

33. संचालकों के निष्कासन की प्रणाली एवं रिक्तता के लिये पूर्ति :–

(1) संचालक मंडल के किसी सदस्य या पदाधिकारी की अपात्रता की जानकारी ज्ञान में आने की तारीख से दो माह के भीतर उसे सुनवाई का युक्तियुक्त समय देने के पश्चात समिति उसे पद धारण करने के अयोग्य घोषित कर सकेगी। इस प्रकार रिक्त घोषित पद की सूचना संचालक मंडल जिले के रजिस्ट्रार को लिखित रूप में पारित आदेश के दिनांक से 7 दिन के अंदर सूचित करेगी।

(2) संस्था के संचालक मंडल के कुल निर्वाचित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से इस प्रयोजन के लिये आयोजित सम्मेलन में पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारियों को पद से हटा सकेगा। यदि–

(i) वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या संस्था की उपविधियों द्वारा उस पर अधिरोपित किये गये कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में घोर उपेक्षा करता हो या उसके कपटपूर्ण कार्यो से संस्था को वित्तीय हानि हुई हो।

(ii) वह सोसायटी को उसके शोध्यों का संदाय करने से लगातार व्यतिक्रम करता हो

(iii) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसके प्रति प्रतिकूल टिप्पणी की गई हो।

(iv) वह उसके द्वारा धारित पद का दुरूपयोग करता हो परन्तु ऐसा संकल्प उस तारीख से जिसको कि उसने अपने संबंधित पद का भार ग्रहण किया हो या ऐसा संकल्प समिति द्वारा अस्वीकृत या स्वीकृत जैसी भी दशा हो किया गया हो एक वर्ष की कालावधि के भीतर नहीं लाया जायेगा।

(3) ऐसा प्रस्ताव संस्था के सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई निर्वाचित सदस्यों द्वारा उनके हस्ताक्षर से आरोप पत्र के साथ सोसायटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा एवं ऐसे प्रस्ताव की प्रति रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी को भी भेजी जावेगी। संस्था का मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रस्ताव प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर संचालक मंडल का सम्मेलन बुलायेगा तथा प्राप्त प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। संस्था के अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारी को ऐसे सम्मलेन में स्वयं का प्रतिवाद करने का अधिकार होगा। ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता पंजीयक या इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

(4) उक्त प्रावधानों के अंतर्गत निष्कासित संचालक अथवा हटाये पदाधिकारी के रिक्त हुए पद की पूर्ति यथा स्थिति सहयोजन/निर्वाचन द्वारा की जावेगी। सहयोजन /निर्वाचन हेतु विशेष रूप से आहूत बैठक की अध्यक्षता रजिस्टार द्वारा नियुक्त

निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जावेगी। इसके लिये संस्था की समिति ठहराव करके निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति हेतु निवेदन करेगी जिस पर पंजीयक एक अधिकारी नियुक्त करेगा ।

34. संचालक मंडल की बैठकें बुलाने का तरीका एवं गणपूर्ति :–

(1) संचालक मंडल की बैठक के लिये संचालक मंडल के कुल सदस्यों के कम से कम आधे से अधिक सदस्यों की गणपूर्ति अनिवार्य होगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक निरस्त की जावेगी। बैठक की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष, उसकी अनुपस्थिति में दोनों उपाध्यक्षों में से उस उपाध्यक्ष द्वारा जिसे उपस्थित सदस्यों का बहुमत तय करे द्वारा तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों में से कोई एक सदस्य जिसे उपस्थित सदस्य बहुमत से तय करें, के द्वारा की जावेगी प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। समस्त विषयों पर निर्णय बहुमत द्वारा लिया जावेगा। समान मत होने की दशा में बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(2) यदि संचालक मंडल का कोई सदस्य लगातार मण्डल की 3 बैठकों में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहता है तो संचालक मंडल उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद संचालक मंडल की सदस्यता से अलग करेगी। ऐसा अलग हुआ सदस्य फिर एक वर्ष तक संचालक मंडल का सदस्य नहीं बन सकेगा।

(3) ऐसा कोई विषय, जिसमें संचालक मंडल के किसी सदस्य का निजी संबंध है, तो उस विषय के समय वह सदरय संचालक मंडल की बैठक में सम्मिलित नहीं हो सकेगा।

(4) सहयोजन एवं विनिर्दिष्ट पद हेतु निर्वाचन की बैठक की अध्यक्षता निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जावेगी।

(5) संचालक मंडल की बैटक की सूचना बैठक के दिनांक से कम से कम 7 दिन पूर्व एवं विशेष परिस्थितियों में 5 दिन पूर्व संचालक मंडल के समस्त सदस्यों को व्यक्तिशः या पंजीकृत डाक से दी जावेगी।

(6) संचालक गंडल की बैठक की सूचना संस्था के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्धारित विषय सूची, स्थान, समय एवं दिनांक के विवरण सहित जारी की जावेगी।

(7) संचालक मंडल की कार्यवाही के कार्यवृत्त लिपिबद्ध किए जावेगें तथा कार्यवाही के अंत में बैठक की अध्यक्षता करने वाले एवं संस्था के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रबंधक के हस्ताक्षर अनिवार्य होगें।

(8) यह भी कि ऐसे लिपिबद्ध कार्यवृत्त संचालक मण्डल के समस्त सदस्यों, पंजीयक एवं वित्तदायी संस्था को बैठक के दिवस के 30 दिन के अंदर भेजना अनिवार्य होगा।

35. संचालक मंडल की बैठकों की आवृति :–

संचालक मंडल की बैठक संस्था की आवश्यकतानुसार कभी भी कितनी भी बार बुलाई जा सकेगी ।

परन्तु किसी भी स्थिति में कम से कम प्रत्येक तीन माह में संचालक मंडल की एक बैठक करना अनिवार्य होगा।

36. संचालक मंडल की शक्तियां एवं कार्य :–

संस्था द्वारा साधारण सभा में अथवा इन उपनियमों में निर्धारित नियमों अथवा प्रतिबंधों के अधीन प्रदत्त समस्त साधारण सभा के लिये रक्षित अधिकारों को छोड़कर संस्था की संचालक मंडल कारोबार के अधिकारों का प्रयोग करेगी और विशेषतः उसके निम्नांकित अधिकार और कर्त्तव्य होगें–

(1) सदस्यता स्वीकृत एवं समाप्त करना।

(2) अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों को निलंबित करना।

(3) अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों को पद से हटाना।

(4) अन्य संस्थाओं में अपने प्रतिनिधित्व हेतु जिसमें यह सस्था संबद्ध है, के प्रतिनिधियों का चुनाव करना।

(5) अपने समंस्त कार्य संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अधिनियम, नियम एवं इन उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार सम्पन्न करना/कराना।

(6) संस्था की समस्त सम्पत्ति एवं दायित्व, प्राप्त किये गये धन तथा व्यय किये गये धन एवं समस्त क्रय/विक्रय किये गये माल का सही और ठीक–ठीक हिसाब रखना।

(7) संस्था के सदस्यों की सदस्यता पूंजी सही और अद्यतन (आखिरी तारीख तक) पूर्ण रखना।

(8) संस्था के मासिक आय–व्यय पत्रक और वार्षिक आय–व्यय पत्रक, हानि–लाभ और लेन–देन पत्रक तैयार करना और व्यापक सम्मलेन के समक्ष प्रस्तुत करना।

(9) संस्था के दैनिक हिसाब–किताब की जांच करना, दैनिक साधारण खर्चों की स्वीकृति देना और संस्था की केशबुक अद्यतन रखी जा रही है, की निगरानी करना।

(10) नये सदस्यों को सदस्यता प्रदान करना और इनके अंश स्वीकृत करना तथा सदस्यों के अंश, स्वीकृत अंश वापस एवं अंश हस्तांतरण संबंधी प्रार्थना पत्रों पर विचार करना और उनको स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना।

(11) सदस्यों के त्यागपत्र स्वीकार करना ।

(12) संस्था की उपविधियों के अनुसार किसी सदस्य को संस्था की सदस्यता से निष्कासित करना।

(13) साधारण सभा और विशेष साधारण सभा बुलाना।

(14) आगामी वर्ष के लिये साधारण सभा को संस्था की ऋण सीमा की सिफारिश करना, अंशों का लाभांश तथा पिछले वर्ष में सदस्यों द्वारा संस्था से की गई खरीदी पर छूट देने हेतु अनुशंसा करना तथा आगामी वर्ष का आय–व्यय का लेखा (बजट) स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।

(15) साधारण सभा द्वारा निर्धारित की गई अधिकतम ऋण सीमा के अधीन उधार लेना, ऋण एवं अमानतें की शर्त, अवधि एवं ब्याज की दर निश्चित करना, सदस्यों के माल के तारण अथवा पुनः तारण पर धन उधार लेना देना संस्था की चल अथवा अचल सम्पत्ति का प्रभार निष्पादित करना अथवा उसके लिये अन्य व्यक्तियों को अधिकृत करना। समय–समय पर सदस्यों को ऋण दिये जाने की राशि, शर्तें, अवधि शासन/नाबार्ड/वित्तदायी बैंक के निर्देशों के अधीन निर्धारित करना।

(16) अधिनियम, नियम तथा इन उपविधियों के अंतर्गत समय--समय पर सहायक नियम बनाकर, पंजीयक की पूर्वानुमति से लागू करना।

(17) सदस्यों को ऋण स्वीकृत करना एवं ऋणों की वसूली का प्रबंध करना।

(18) संस्था द्वारा विक्रय की जा रही सामग्री का बाजार के उतार–चढ़ाव के अनुसार भाव निर्धारित करना और आकस्मिक संकट के समय वस्तुओं के विक्रय के लिये नियम बनाना।

(19) संस्था के व्यापार के लिये कौन सा व्यापार किया जावे, निर्धारित करना और समस्त व्यापार की निगरानी करना।

(20) संस्था द्वारा किराये पर दिये जा रहे यंत्रों की दरें एवं शर्तें निर्धारित करना।

(21) सदस्यों की कृषि एवं अन्य उपजों को प्राप्त करना एवं उसे बेचने संबंधी शर्तें निर्धारित करना।

(22) सदस्यों को तारण पर रखी गई उपज, उस पर सदस्य को अग्रिम देने आदि के नियम बनाना, अग्रिम की वसूली करना और शेष अग्रिम रहने पर उसकी वसूली की कार्यवाही करना।

(23) कम से कम प्रत्येक 6 माह में संस्था के पास उपलब्ध व्यापारिक स्कंध और मृत स्कंध की जांच कराना और कमी आने पर संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करना।

(24) संस्था के सेवानियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, उनको अधिकार देना, दण्डित, पदोन्नत करना, उन्हें अवकाश स्वीकृत करना, उनसे आवश्यक प्रतिभूति जमानत लेना। उपरोक्त कार्यवाही में पंजीयक द्वारा बनाये गये सेवा नियम प्रावधानों का पालन सक्षम अधिकारी से सुनिश्चित कराना।

(25) आमसभा द्वारा स्वीकृत बजट के अन्दर खर्च करना।

(26). कर्मचारियों को इस आशय से बनाए गए नियमों के अंतर्गत अग्रिम स्वीकृत करना। ऋणों के उपयोग पर निगरानी करना और उनके लिए ली गई प्रतिभूतियों की जांच करना।

(27) जो वैधानिक कार्यवाही अथवा वाद संस्था की ओर से अथवा उनके किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध संस्था के कारोबार के संबंध में हो, उनमें पैरवी करना, समझौता करना अथवा वाद वापस लेना तथा संस्था की ओर से पैरवी करने के लिये अधिकृत करना ।

(28) पंजीयक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, अंकेक्षक, वित्तदायी बैंक तथा ऐसी संघीय संस्था, जिसकी वह संस्था सदस्य हो, के अधिकारियों को संस्था के निरीक्षण हेतु कागजात, रजिस्टर प्रस्तुत करना और उनके पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अपना पालन प्रतिवेदन और उत्तरों को साधारण सभा में प्रस्तुत करना। यह भी कि वित्तीय वर्ष समाप्ति के एक वर्ष के अंदर अंकेक्षण पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।

(29) प्रत्येक सहकारी वर्ष 31 मार्च के अंत पर तीन माह के अंदर संस्था के वित्तीय पत्रक प्रबंधक से तैयार कराकर पंजीयक को प्रस्तुत कराना।

(30) संचालक मंडल के सदस्यों के त्यागपत्र प्रस्तुत करने पर विचार करना एवं स्वीकृत एवं अस्वीकृत करना।

(31). अपने ऐसे अधिकारों को अध्यक्ष, उपाध्यक्षों, मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सौंपना

जो कि उनकी राय में संस्था के ठीक तरह से संचालन के लिये जरूरी हो।
(32) संस्था की वित्तीय और उसमें सरकार के वित्तीय हित को ध्यान में रखते हुए संस्था के व्यापार एवं कामकाज करने की रीति हेतु पंजीयक समय–समय पर निर्देश दें, के अनुसार कार्य करना।
(33) संस्था शासन के ऐसे निर्देश, जो अधिनियम के अंतर्गत दिये जाते हैं, का पालन करना।
(34) वे सब कार्य करना, जो संस्था के संचालन के लिये आवश्यक हो और जिनके संबंध में विशेष अधिकार अधिनियम, नियम या इन उपविधियों के अनुसार साधारण सभा में वेष्ठित न हो ।
(35) संस्था के कारोबार के संचालन के लिये संचालक मंडल एक सामान्य व्यापारी की सावधानी एवं अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के अनुसार कार्य करेगा और अधिनियम और उपविधियों के विरूद्ध किये गये कार्यो के फलस्वरूप संस्था को हुई हानि के लिये उत्तरदायी होगी। इस संबंध में संस्था अंकेक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आमसभा में रखा जावेगा।
(36) संचालक मंडल की बैठक में विचार किये गये अथवा निर्णय लिये गये समस्त विवरण एक कार्यवाही पुस्तिका में लिखे जावेगें तथा उस पर बैठक के अध्यक्ष एवं प्रबंध समिति के उपस्थित सब सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ संस्था के प्रबंधक के हस्ताक्षर लिये जावेगें।
(37) पंजीयक के अनुमोदन से कर्मचारी वृन्दों की संख्या, अर्हतायें, भर्ती सेवा शर्ते नियत करना ।
(38) निधियों के संचालन, उपभोग, विनिधान, अभिरक्षा की नीति करना।

37. पदाधिकारियों/अध्यक्ष की शक्तियां/कार्य :–

संस्था के अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्त्तव्य निम्नानुसार है:–
(1) संचालक मंडल की बैठक बुलवाने हेतु प्रबंधक को निर्देश दे सकेगा ।
(2) साधारण सभा एवं संचालक मंडल एवं उपसमितियों की बैठकों की अध्यक्षता करना ।
(3) संचालक मंडल के द्वारा सौंपे गये समस्त कर्त्तव्यों का पालन करना ।
(4) संस्था की ओर से संचालक मंडल के निर्देशों के अनुरूप बैंक से राशि निकालना, जिसमें समिति के प्रबंधक के संयुक्त हस्ताक्षर आवश्यक होगें।

38. मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शक्तियां एवं कार्य :–

(1) प्रबंधक संस्था का मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा वह संस्था की संचालक मंडल के अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन के अध्ययधीन रहते निम्न कार्य करने के लिये उत्तरदायी होगा
(2) वित्तदायी संस्था/बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण, अग्रिम, साख सीमा के अंतर्गत नियत शर्तो का पालन करना।
(3) संस्था की ओर से राशि निकालने के कार्य संचालक मंडल के निर्देशों के अनुरूप समिति सेवक/प्रबंधक एवं अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किये जावेगें।

(4) संस्था के लिये धन, अमानतों को प्राप्त करना तथा संचालक मंडल के द्वारा निर्धारित रसीदें देना। संस्था की ओर से अन्य राशियां वसूल करना तथा उसकी रसीद अपने हस्ताक्षर से देना ।

(5) कार्यालय के कार्य की निगरानी रखना तथा रोकड़ पुस्तिका (केशबुक) एवं खातों सहित, जिनमें अंशधारी, संस्था में अमानतें जमा करने वाले तथा खरीददार सदस्यों के हिसाब किताब दर्शाये जावेगें, हिसाबों का गय स्टॉक रजिस्टर के ठीक–ठीक संधारित रखवाने के लिये उत्तरदायी होगा।

(6) संस्था द्वारा देय धन का चुकारा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से कराना ।

(7) संचालक मंडल की स्वीकृति के अधीन रोजाना साधारण खर्च करने की स्वीकृति देना।

(8) माल की बिक्री करवाना, नापतौल की देखभाल रखना तथा ऐसा धन प्राप्त करना एवं ऐसे चुकारे करवाना जिनके लिये संचालक मंडल ने उसे अधिकार दिया हो।

(9) संस्था के ऋण लेने वालों से ठीक तरीके से साख पत्रों को लिखवाना एवं प्राप्त करना एवं अपनी सुरक्षा में रखना ।

(10) संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना, पत्र व्यवहार करना तथा सूचना–पत्र जारी करवाना।

(11) समिति के प्रबंधक संस्था की पुस्तकों की कलमों, कापियां प्रमाणित करना।

(12) समय–समय पर वित्तदायी बैंक एवं पंजीयक द्वारा नियम एवं अधिनियम के अनुरूप प्रसारित अनुदेशों का पालन करना।

(13) प्रत्येक वर्ष 30 जून तक संस्था के वित्तीय पत्रक एवं अन्य आवश्यक जानकारियां, जो पंजीयक धारा 56 (1) के अंतर्गत मांगे, देना।

(14) संस्था के समस्त विधिक दस्तावेज जैसे:–पंजीकृत उपविधि, प्रमाण पत्र साधारण सभा, संचालक मंडल एवं उपसमितियों की कार्यवाही पंजी, अधिनियम/नियम की प्रति, सदस्यता पंजी, अंशपूंजी पंजी अपनी अभिसुरक्षा में सुरक्षित रखेगा।

(15) संस्था द्वारा दिये गये ऋणों पर ब्याज, दण्ड ब्याज की संगणना कर सदस्य से वसूल करना, चूककर्ता सदस्यों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की प्रक्रिया पूर्ण करना। संस्था की ओर से न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करना एवं उनका पक्ष समर्थन करना/कराना तथा संस्था के विरुद्ध दायर प्रकरणों का प्रतिरक्षण करना/कराना। पंजीयक द्वारा अनुमोदित सेवानियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करना।

(16) संस्था सेवानियमों के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाहियां करना।

39. सदस्यों के हितों के विरूद्ध कार्य करने और सदस्यों, संचालकों एवं कर्मचारियों द्वारा कर्त्तव्यों की अवहेलना पर अर्थदण्ड :–

(1) संस्था सदस्यों के साथ इकरार करेगी कि वे अपनी पैदावार अथवा उसका ऐसा भाग जो ऋण के अथवा उसकी बची हुई राशि की वसूली के लिये जरूरी हो, उसे इस संस्था या उस विपणन सहकारी संस्था के मार्फत बेचें, जिसके साथ इस संस्था ने अनुबंध किया हो । ऋणी सदस्यों द्वारा पैदावार बेचने संबंधी अनुबंध को भंग करने पर

संस्था अधिक से अधिक 1000 रू. अर्थदण्ड कर सकेगी परन्तु यह दण्ड तभी दिया जा सकेगा जब संस्था एवं निर्देशित विपणन संस्था द्वारा इस प्रकार की पैदावार खरीदने की व्यवस्था की गई हो ।

(2) किसी भी संचालक द्वारा सदस्यों के हितों के प्रतिकूल कार्य करने पर सदस्य की शिकायत पर संचालक मंडल विचार करेगी तथा वह दोषी संचालक के लिये उचित दण्ड निर्धारित करेगी।

40. अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं कार्य और अंकेक्षण करने की प्रक्रिया :–

(1) संस्था का अंकेक्षण पंजीयक द्वारा नियुक्त अंकेक्षक या चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सहकारी वर्ष समाप्ति के एक वर्ष के अंदर किया जायेगा। संस्था अपने वित्तीय पत्रक एवं अन्य विवरण वर्ष समाप्ति के उपरांत तीन माह के भीतर जिले के उप/सहायक पंजीयक व अंकेक्षक को देंगे।

(2) संस्था पंजीयक द्वारा नियुक्त अंकेक्षक अथवा चार्टर्ड अकाउण्टेंट से अंकेक्षण हेतु विकल्प जिले के उप/सहायक पंजीयक को 30 जून तक प्रस्तुत करना होगा। यदि निर्धारित अवधि तक विभागीय सक्षम अधिकारी को संस्थाओं के अंकेक्षण के संबंध में विकल्प प्राप्त नहीं होते हैं तो यह माना जाकर कि संस्थाएं सनदी लेखापाल से अंकेक्षण कराने की इच्छुक नहीं हैं, विभागीय अंकेक्षकों को अंकेक्षण करने हेतु आदेश जारी किये जावेंगे।

(3) संस्था को अनिवार्य होगा कि वह अंकेक्षण टीप में उठाई आपत्तियों का पालन प्रतिवेदन अंकेक्षण टीप प्राप्ति के 2 माह के अंदर अपनी वित्तदायी संस्था के अभिमत सहित जिले के सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) को भेजेगी ।

(4) यदि संस्था निर्धारित समय में अंकेक्षण कराने में सक्षम नहीं रहती है, तथा उचित कारण भी नहीं दर्शा पाती है तो पंजीयक संस्था के अभिलेख अधिनियम की धारा 57 में जप्त कर अभिलेख पूर्ण करायेगा तथा अंकेक्षण पूर्ण करायेगा।

(5) बिन्दु क्रमांक (4) की कार्यवाही से अंकेक्षण कराने तथा अभिलेख पूर्ण कराने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय का निर्धारण कर पंजीयक संस्था के दोषी मुख्य कार्यपालन अधिकारी से ब्याज सहित वसूल करेगा।

41. अधिकारी या अधिकारियों को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करना और सहकारी संस्था द्वारा वाद दायर एवं बचाव तथा अन्य कानूनी कार्यवाही करना :–

रसीदों को छोड़कर संस्था की ओर से लिखे गये समस्त प्रकार के दस्तावेजों पर अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के संस्था के प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त हस्ताक्षर होगें।

42. शर्तें, जिन पर एक सहकारी संस्था गैर सदस्यों के साथ व्यवहार कर सके :–

साधारणतः समस्त सामग्रियां संस्था के सदस्यों को ही बेची जा सकेंगी, परन्तु निम्नलिखित अवस्थाओं में संचालक मंडल गैर सदस्यों को भी बेचने को स्वतंत्र होगी ।

(1) जब किसी वस्तु सड़ने गलने से बचाने के लिये उसकी तुरन्त बिक्री की आवश्यकता हो ।
(2) जब संचालक मंडल यह देखे कि किसी वस्तु का संग्रह उसके पास अतिरिक्त है और इसीलिये गैर सदस्यों को बेचना उचित होगा और,
(3) जब कभी संचालक मंडल की राय में गैर सदस्यों को बेचना संस्था के बहुत हित में हो ।
(4) कृषि यंत्र सदस्यों तथा गैर सदस्यों, दोनों को किराये पर दिये जा सकेगें। गैर सदस्यों को ऐसे कृषि यंत्र प्राप्त करने के पूर्व प्रतिभूति के रूप में ऐसा धन जमा करना होगा जो कि संचालक मंडल निर्णय करे अथवा किसी सदस्य की प्रतिभूति प्रस्तुत करना होगी अथवा ऐसे यंत्र उनके पास रखने के समय उसमें होने वाली किसी टूट–फूट के लिये उन्हें प्रतिभूति सहित उसकी दुरूस्ती का अथवा मूल्य के चुकारे का बंधक पत्र लिख देना होगा।
(5) शासन या पंजीयक के निर्देशानुसार यदि किसी वस्तु की बिक्री शासकीय नीति के अनुसार सदस्य एवं असदस्य सभी को करना हो तो शासन/पंजीयक द्वारा निर्धारित नीति से संस्था गैर सदस्यों को भी विक्रय कर सकेगी।

43. सहकारी संस्था द्वारा दूसरी संस्थाओं के साथ संबंध की शर्तें :–

(1) संस्था अपने क्षैत्र की विपणन सहकारी संस्था और केन्द्रीय सहकारी बैंक की भी सदस्य होगी और उनके अंश खरीद करने में निम्नानुसार अपना धन लगायेगी ।
(2). विपणन सहकारी संस्था के अंशों में जो, उसकी स्वयं की अंशपूंजी के 8 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
(3) समय–समय पर पंजीयक की अनुमति के अन्तर्गत अन्य संस्थाओं के अंश क्रय करना।

44 शर्तें जिन पर एक सहकारी संस्था , सहकारी संस्थाओं के अलावा अन्य संगठनों से व्यवहार कर सके :–

संस्था वित्त पोषक बैंक के परामर्श एवं रजिस्ट्रार की अनुमति से ऐसे अन्य व्यवसायिक संगठनों से व्यवहार कर सकेगी, जिनका संस्था के व्यवसाय से संबंध हो। इसके अतिरिक्त संस्था किसी भी सहकारी संस्था या सहकारी से भिन्न के साथ साझेदारी के कारोबार या संविदा के आधार पर कारोबार कर सकेगी जिसके लिये शर्तें संचालक मंडल पंजीयक के पूर्व अनुमोदन से निर्धारित कर सकेगा।

45. अधिकार यदि कोई, जिसे सहकारी संस्था अन्य सहकारी संस्था या संघों को प्रदत्त करे और वह परिस्थितियां, जिसके अन्तर्गत इन संघों और वह परिस्थितियों, जिसके अन्तर्गत यह अधिकार संघ, संघों द्वारा क्रियान्वयन हो सके :–
संस्था के व्यतिक्रमी सदस्यों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का सीधा अधिकार संस्था की वित्तदायी संस्था/बैंक को होगा।

46. यदि परिसमापन में है तो निधियों का निपटारा :–

परिसमापन के पश्चात् संस्था के दायित्वों का एवं अंशपूंजी का चुकारा करने के बाद रक्षित कोष मध्यप्रदेश में प्रभावशील सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों अनुसार जमा किया जावेगा।

47. सहकारी संस्थाओं के लिये लेखा वर्ष :–

प्रतिवर्ष 31 मार्च को समस्त खाते बन्द किये जावेंगे । इस प्रकार संस्था का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

48. सदस्य के मृत्यु के मामले में नियुक्त उत्तराधिकारी के नाम हिस्सों जमा ऋण एवं ब्याज तथा अन्य लेनदारी देनदारी का अंतरण :–

(1) प्रत्येक सदस्य एक ऐसे व्यक्ति को नामाकिंत करेगा, जिसे उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके हित अथवा अंश दिये जा सकेंगे तथा ऐसे नामाकंन की दो साक्षियों द्वारा पुष्टि करावेगा।

(2) सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत्यु के दिन से विधान, नियमों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर, उसके संस्था में अंश, लाभांश आदि के रूप में जमा धन का उसके जिम्मे संस्था का समस्त देना काटकर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को चुकारा कर दिया जावेगा। ऐसे नामाकिंत व्यक्ति के अभाव में, ऐसा जमा धन (अंशों को विमोचित किया जाकर) नकदी में ऐसे व्यक्ति को, उसके द्वारा संस्था के पक्ष में प्रतिज्ञा पत्र लिखा लिया जाने पर, चुका दिया जावेगा जो गृत सदस्य का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे अथवा वैध उत्तराधिकारी हो, किन्तु प्रतिबंध यह है कि मृत सदस्य की अमानतों के रूप में जमा धन तब तक चुकाने योग्य न होगा जब तक कि उनकी अवधि, यदि कोई हो, समाप्त न की गई हो।

(3) यह भी कि, संस्था को मृत सदस्य से लेने योग्य राशि की वसूली भी उसके वैध उत्तराधिकारी से की जा सकेगी। परन्तु प्रतिबंध यह है कि ऐसी वसूली उस उत्तराधिकारी को प्राप्त सम्पत्ति से अधिक न हो।

49. संस्था का समापन :–

(1) यदि संस्था की आमसभा में तत्संबंध हेतु आहूत बैठक में सदस्य संस्था को बन्द करने का निर्णय लें।

(2) संस्था केवल अधिनियम एवं उसके अधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत रजिस्ट्रार के आदेश के द्वारा परिसमापन में लायी जावेगी तथा उसके विघटन के लिये अधिनियम, नियम में वर्णित प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

(3) यह भी कि यदि संस्था दुर्व्यपदेशन से कार्य करने लगे तो पंजीयक संस्था का धारा 18 के अन्तर्गत पंजीयन सीधे भी निरस्त कर सकेंगे।

50. गैर सदस्यों की सेवा पर प्रतिबंध, यदि कोई :–

संस्था की सेवायें सामान्यतः सदस्यों को ही प्राप्त हो सकेगी, जब तक उपविधियों में अन्यथा वर्णित न हो।

51. इसके क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के लिये स्वसहायता समूहों का गठन और उनके लिये शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना :–

(1) संस्था को अपने सदस्यों में कृषि के नये–नये सुधारों के ज्ञान का प्रचार कराने के लिय संचालक मंडल भूमि को प्राप्त कर सकेगी, खरीद सकेगी अथवा पट्टे पर ले सकेगी।
(2) संचालक मंडल भूमि प्राप्त करने की शर्तो के संबंध में, प्रदर्शन कार्यों को चलाने के संबंध में प्रदर्शन, भू–भाग से प्राप्त उपज की बिक्री आदि के संबंध में सहायक नियम बनायेगी।
(3) संस्था उपभोक्ता सहकारी सामग्रियों एवं जीवन की दैनिक आवश्यक वस्तुओं को उधारी पर नहीं बेचेगी। सब बिक्री नगदी में ही की जावेगी।
(4) संस्था अपने क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को भी हाथ में ले सकेगी।
(5) संस्था अपने क्षेत्र के लोगों के विकास हेतु कोई भी कार्यक्रम आमसभा के अनुमोदन से प्रारंभ कर सकेगी।
(6) संस्था अपने सदस्यों के हित में विशेष विभिन्न सामुदायिक योजनायें बनाकर क्रियान्वित कर सकेगी।
(7) शिक्षा एवं प्रशिक्षण की योजनायें, क्रियान्वित कर सकेगी।

52. अंश प्रमाण पत्र जारी करने की बाध्यता :–

(1) संस्था के सभी अंशधारियों को उनके द्वारा धारित अंशों की संख्या एवं चुकाई गई राशि को दर्शित करते हुए अंश प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य होगा। ऐसे अंश प्रमाण पत्रों पर संस्था अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे ।
(2) किसी सदस्य द्वारा नवीन अंश क्रय करने पर उसके लिये पृथक से अंश प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा जो पूर्व जारी प्रमाण पत्र के अतिरिक्त होगा तथा उसमें मात्र नवीन क्रय अंशों की संख्या एवं राशि दर्शाई जावेगी।
(3) किसी भी सदस्य के अंशों की वापिसी या अंतरण, उसके द्वारा अंश प्रमाण पत्र वापिस जमा कराने के पश्चात् ही संभव होगा।

53. संस्था को हानि पहुंचाने पर कार्यवाही एवं वसूली हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण :–

(1) संस्था के कार्य व्यापार के सामान्य अनुक्रम में कोई घाटा होता है तो संस्था का साधारण निकाय इस घाटे की वसूली का उत्तरदायित्व निर्धारित करेगा।

(2) संस्था की चल अचल संपत्ति के अमानत में खयानत या अन्य आपराधिक प्रकार से क्षति पहुंचाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध भा.द.सं. के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही पुलिस में दर्ज कराने का उत्तरदायित्व ज्ञान में आने के एक माह के अंदर संस्था के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का होगा परन्तु मुख्य कार्यपालन अधिकारी दोषी हो तो, कार्यवाही का दायित्व अध्यक्ष पर होगा तथा किसी पदाधिकारी/संचालक के दोषी होने पर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकरण संचालक मंडल में रखेगा, तथा संचालक मंडल के निर्णयानुसार कार्यवाही करने का दायित्व उसका होगा। आपराधिक प्रकरण पुलिस में दर्ज कराने के अतिरिक्त ऐसी राशि/अचल/चल संपत्ति की वसूली हेतु अधिनियम की धारा 64 में भी उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध विवाद दायर कर दोषी की सम्पत्ति को अधिनियम की धारा 68 में अटैचमेंट बिफोर अवार्ड का आवेदन भी लगायेगा। यदि इस प्रकार उत्तरदायी व्यक्ति उक्त कार्यवाही करने में असफल रहता है तो उसे भी दोषी मानते हुये अन्य सभी दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध उक्तानुसार कार्यवाही सीधे वित्तदायी बैंक द्वारा दो माह के अंदर की जावेगी। इस प्रकार की घटना की जानकारी जिले की वित्तदायी सहकारी बैंक तथा उप/सहायक पंजीयक के ज्ञान में आने के 15 दिवस में भेजी जावेगी। यदि संस्था कार्यवाही में असफल रहती है तो घटना पर कार्यवाही के लिये जिम्मेदार व्यक्ति को शामिल करते हुए कार्यवाही वित्तदायी बैंक करेगा।

(3) संस्था अंकेक्षक के प्रतिवेदन या वित्तदायी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन में उक्त घटना का संज्ञान होने पर भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

(4) अधिनियम, नियम, उपविधि के विपरीत व्यय करने पर भी हुए व्यय की वसूली के लिये उपरोक्तानुसार वसूली की वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

(5) अपराधिक ढंग तथा उप नियमों (4) को छोड़कर अन्य प्रकार से संस्था को क्षति पहुचाने के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण संस्था के साधारण निकाय से कराया जावेगा तथा निर्णयानुसार कार्यवाही मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनिश्चित करेगा।

54. नाममात्र सदस्य :–

(1) संस्था के साथ संव्यवहार करने वाले व्यक्ति जैसे ठेकेदार, सप्लायर्स, विक्रेता, एजेंट, जमानतदार आदि नाममात्र के सदस्य बनाये जावेगें।

(2) नाममात्र के सदस्य को कोई अंश विक्रय नहीं किया जावेगा। इनसे रूपये 5 प्रवेश शुल्क तथा रूपये 10 अभिदाय प्राप्त किया जादेगा। इन्हें संस्था के प्रबंध, निर्वाचन, मतदान या लाभ वितरण में कोई अधिकार नहीं होगा। ये मात्र वित्तीय संबंध रहने तक नाममात्र के सदस्य बने रहेगें।

55. संस्था पदाधिकारियों को मानदेय/बैठक शुल्क :–

(1) संस्था के संचालक मंडल, उप समिति की बैठकों हेतु बैठक शुल्क देय होगा जो कि पंजीयक द्वारा अनुमोदित दर से दिया जावेगा।

(2) यदि संस्था में विभाजन योग्य शुद्ध लाभ होता है तो पंजीयक द्वारा अनुमोदित दर से मानदेय दिया जा सकेगा।

56. संस्था की लेखा पुस्तकें :–

(1) संस्था हिसाब किताब की पुस्तकें एवं अन्य लेखा संग्रह पंजीयक/नाबार्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर रखे जावेगें तथा साख, असाख तथा शासन को एजेन्सी के रूप में कारोबार से संबंधित लेन–देन पृथक–पृथक अंकित किये जावेंगे जिससे इन सभी मदों में होने वाले लाभ हानि की गणना पृथक–पृथक की जा सकेगी।
(2) संस्था की सदस्य पूंजी, अंशपूंजी तथा अन्य कागजात संस्था प्रबंधक की अनुमति से सभी सदस्यों को देखने/जांचने के लिये उपलब्ध रहेगें, उनके द्वारा आवेदन देने पर प्रति पृष्ठ रूपये एक फीस जमा करने पर उनकी सत्य प्रति दी जा सकेगी। परन्तु किसी सदस्य के अमानत खातों को धरोहरकर्ता की बिना अनुमति नहीं दिखाया जा सकेगा।

57. लाभ का विभाजन :–

(1) संस्था के लिये विधि में आवश्यक निधियों, छीजन निधि एवं प्रावधानों का निर्माण करने के पश्चात् यदि लाभ होता है तो उसमें से लाभ मद में दर्शाये गये अप्राप्त/परन्तु प्राप्ति योग्य मद की राशि घटाकर शुद्ध विभाजन योग्य लाभ की संगणना की जावेगी।
(2) शुद्ध विभाजन योग्य लाभ में से 25 प्रतिशत राशि रक्षित निधि में जमा की जावेगी तथा 5 प्रतिशत सामान्य कल्याण निधि में जमा किया जावेगा।
(3) पूरे चुके अंशों पर संस्था की आमसभा द्वारा निर्धारित सीमा तक लाभांश दे सकेगी, परन्तु यह दर 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसके पश्चात् राशि बचने पर :–
(4) मानदेय के चुकारे में तथा कृषि साख स्थायीकरण निधि हेतु।
(5) शेष बची राशि रक्षित निधि में जमा की जावेगी।

58. उपविधियों की व्याख्या :–

यदि उपविधि के किसी प्रावधान के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो तो उसकी व्याख्या हेतु पंजीयक को भेजा जावेगा तथा पंजीयक की व्याख्या अंतिम एवं सभी के लिये बंधनकारी होगी।

59. अधिनियम, नियम की सर्वोच्चता :–

(1) इन उपविधियों में कुछ भी क्यों न लिखा है यदि वह अधिनियम , नियम के प्रतिकूल है तो उपविधि के प्रावधान प्रभावी नहीं रह जायेगें अपितु अधिनियम, नियम के प्रावधान प्रभावी होगें।
(2) इन उपविधि में जो बातें समाविष्ट नहीं है वे अधिनियम/नियम के प्रावधानों के अनूकूल होगी।
(3) संस्था अपने सभी अभिलेखों, सदस्यता पंजी, केशबुक, जनरल लेजर, सहायक लेजर, कार्यवाही पुस्तिका, अपने कार्यालय के बाहर बोर्ड पर, समस्त पत्राचार, समस्त सूचना,

अन्य अधिकारिक प्रकाशनों, समस्त संविदाओं, कारोबारी पत्रों , माल के लिये आदेशों में, बीजकों, लेखाओं की विवरणिओं, प्राप्तियों, साख पत्रकों, विनियम एवं बचत पत्रों, पृष्ठांकनों, चैकों, धनादेशों, आदि जहां भी उसके या उसकी ओर से हस्ताक्षर, होते हैं, पर अपना नाम, अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता, और शब्द– "मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है," सुवाच्य और सहज दर्शनीय स्थान पर प्रदर्शित करेगी।

(4) संस्था, अधिनिमय की प्रति, नियम की प्रति, संस्था की उपविधियां, पंजीयन प्रमाण पत्र, सदस्यता पंजी, अंतिम संपरीक्षित, वार्षिक तुलन पत्र, लाभ–हानि खाता पत्रक, साधारण सम्मेलनों के कार्यवृत्त तथा संचालक मंडल के कार्यवृत्त अपने सदस्यों को निःशुल्क निरीक्षण हेतु युक्तियुक्त समय निर्धारित कर अपने मुख्यालय पर रखेगी।

.....

कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला .....

कमांक/ दिनांक

– अध्यापेक्षा पत्र –

(अन्तर्गत म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 12(1))

पंजीयक सहकारी संस्थायें म.प्र. के पत्र दिनांक 18.08.2010 से प्राप्त निर्देश अनुसार वैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम में हुये संशोधन के फलस्वरूप प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की आदर्श उपविधियों मे संशोधन किया जाना आवश्यक है।

अतः मैं ———— उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला———— प्राथमिक (सेवा/बृहत्ताकार/आदिमजाति/कृषक) कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, ———————— जिला ———— के संचालक मंडल से यह अपेक्षा करता हूँ कि संलग्न उपविधि संशोधन प्रारूप के अनुसार 60 दिवस की समयावधि में संशोधन पंजीकृत करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इस संबंध में संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक——— तक अपनी आपत्ति मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकती हैं जिससे आपत्ति का विधिसम्मत निराकरण किया जा सके। नियत समयावधि में संस्था की ओर से उपविधि में संशोधन करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त न होने की दशा में अथवा इस संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत न होने पर सदस्य व संस्था हित में संस्था की उपविधि में प्रस्तावित संशोधन पंजीकृत कर दिया जायेगा।

यह अध्यपेक्षा पत्र आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है।

संलग्न :– प्रस्तावित संशोधन।

( )
उप/सहायक
पंजीयक,सहकारी संस्थायें
जिला .....म.प्र.
दिनांक

कमांक/
प्रतिलिपिः-

1. अध्यक्ष/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या.———— जिला————।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. ————म.प्र.।

उप/सहायक
पंजीयक,सहकारी संस्थायें

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र.

कमांक/साख/विधि/47/10/2805 भोपाल दिनांक 14-10-10

प्रति,

उप/सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थायें
समस्त (म.प्र.)

विषयः– प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की आदर्श उपविधियों में संशोधन करने बावत्।

संदर्भः– कार्यालयीन परिपत्र कमांक साख/विधि/47/10/1876 भोपाल 18.08.2010

– 00 –

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र का अवलोकन हो। जिसके द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की प्रस्तावित संशोधित उपविधियॉं प्रेषित की गई थी, उक्त प्रेषित उपविधियों की उपविधि कमांक 4(तीन), 5(1) क, 5(1) ख, 11(।।), 30(1) एवं 40(1) में नवीन शब्दावली प्रतिस्थापित की जाना है।

अतः अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की उपविधियों में उक्तानुसार संशोधन हेतु म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 12(1) के अन्तर्गत निश्चित समयावधि में कार्यवाही कर अवगत करावें।

संलग्न :– प्रस्तावित संशोधन।

(आर.सी.विश्वा)
संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थायें म.प्र.
भोपाल दिनांक 14.10.10.

कमांक/साख/विधि/47/10/2805

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान.सहकारिता मंत्री म.प्र.शासन, भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक, रा0 कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक क्षेत्रिय कार्यालय भोपाल।
4. प्रबंध संचालक म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल।
5. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थायें समस्त म.प्र.।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. समस्त म.प्र.।

संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थायें म.प्र.

क्र.	उपविधि क्र.	वर्तमान शब्दावली	संशोधित शब्दावली
1.	4(तीन)	सदस्यों द्वारा संस्था से प्राप्त किये गये ऋण पर देय ब्याज की दर, ऐसे अधिकतम ब्याज की दर के अधीन होगी, जो वित्तदायी बैंक से प्राप्त ऋण की ब्याज दर तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित मार्जिन, जो 2.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, को जोड़कर निर्धारित की जावेगी । शासन द्वारा समुचित ब्याज अनुदान दिये जाने की दशा में शासन द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जावेगा ।	सदस्यों द्वारा संस्था से प्राप्त किये गये ऋण पर देय ब्याज की दर ऐसे अधिकतम ब्याज की दर के अधीन होगी जो वित्तदायी बैंक से प्राप्त ऋण की ब्याज दर तथा संस्था के संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित मार्जिन को जोड़कर निर्धारित की जावेगी । शासन द्वारासमुचित ब्याज अनुदान दिये जाने की दशा में शासन द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जावेगा ।
2.	5(1)क 5(I) ख	संस्था के सदस्य वे व्यक्ति होगें जो इन उपविधि संशोधन के पंजीकरण के समय संस्था के सदस्य एवं अमानतदार थे । इन विधियों के पंजीयन के समय कंडिका "क' में उल्लेखित सदस्यों को छोड़कर शेष सदस्य नाममात्र के माने जावेंगे ।	5(I) क– संस्था के सदस्य वह व्यक्ति होंगे जो इन उपविधियों के संशोधन के पंजीकरण के समय संस्था के सदस्य है । 5(I) ख– संस्था में ऐसे अमानतदार जो संस्था के सदस्य नहीं है उन्हें उपविधि संशोधन के चार माह के भीतर निर्धारित प्रकिया का पालन कर सदस्यता प्रदान की जावेगी। प्रकिया का पालन करने हेतु उन्हें पर्याप्त समय देते हुए सूचना दी जाएगी। 5(I) ग–संस्था के ऐसे अमानतदार जो इन उपविधियों के संशोधन उपरांत सूचना देने पर भी चार माह के अंदर संस्था की सदस्यता प्राप्त नहीं करते हैं उन्हें आगामी एक माह में उनकी अमानत वापस कर उनसे संव्यवहार करना बंद कर दिया जावेगा ।
3.	11(I)	संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन में मत देने एवं अभ्यार्थी होने में सभी सदस्यों को समान अधिकार होगा ।	संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन में मत देने एवं अभ्यार्थी होने का अधिकार ऋणी सदस्यों या ऐसे अमानतदार सदस्यों को होगा। यहां अमानतदार से अभिप्रेत है जिसके खाते में कभी भी कम से कम लगातार दो वर्ष तक रु. 1000/– या उससे अधिक जमा रहे हों। यहाँ ऋणी सदस्य से

			अभिप्रेत है जिस सदस्य ने अपनी सदस्यता अवधि में कभी भी ऋण लिया हो ।
4.	30 (I)	संस्था के कार्यों का प्रबंध संचालक मण्डल द्वारा किया जावेगा जिसमें एक अध्यक्ष दो उपाध्यक्ष सहित कुल 15 सदस्य होगें । संचालक मण्डल का कार्यकाल 5 वर्ष होगा ।	संस्था के कार्यों का प्रबधन, संचालक मण्डल द्वारा किया जावेगा, जिसमें एक अध्यक्ष दो उपाध्यक्ष सहित कुल 13 निर्वाचित, सदस्य होंगे। संचालक मण्डल का कार्यकाल 5 वर्ष होगा ।
5	40 (I)	संस्था का अंकेक्षण पंजीयक द्वारा नियुक्त अंकेक्षक या चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सहकारी वर्ष समाप्ति के एक वर्ष के अंदर किया जायेगा । संस्था अपने वित्तीय पत्रक एवं अन्य विवरण वर्ष समाप्ति के उपरांत तीन माह के भीतर जिले के उप/सहायक पंजीयक व अंकेक्षक को देंगें ।	संस्था का अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेंट या पंजीयक द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा सहकारी वर्ष समाप्ति के एक वर्ष के अंदर किया जायेगा । संस्था अपने वित्तीय पत्रक एवं अन्य वित्तीय पत्रक, वर्ष समाप्ति के उपरांत 3 माह के भीतर जिले के उप/सहायक पंजीयक व अंकेक्षक को देंगे ।

(314)

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं,मध्यप्रदेश

क्रमांक/साख/विधि/47/11/638 भोपाल,दिनांक ~~7.3.2011~~ 11.3.2011

प्रति,

उप/सहायक पंजीयक,
सहकारी संस्थाऐं,
समस्त मध्यप्रदेश.

विषयः—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की आदर्श उपविधि क्रमांक 30(1) में संशोधन करने बाबत।

सन्दर्भः—कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक/साख/विधि/47/10/2805 दि 14.10.10

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित परिपत्र का अवलोकन हो। जिसके द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की उपविधियों में संशोधन प्रतिस्थापित करके पंजीकृत हेतु भेजा गया था। उपविधि क्रमांक 30(1) कों निम्नानुसार संशोधित पढ़ा जावे :—

"संस्था के कार्यो का प्रबंधन, संचालक मण्डल द्वारा किया जावेगा, जिसमें एक अध्यक्ष दो उपाध्यक्ष सहित कुल 13 सदस्य होंगे। संचालक मण्डल का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।'

अतः अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की उपविधि 30(1) में उक्तानुसार संशोधन हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 1960 की धारा 12(1) के अंतर्गत निश्चित समयावधि में कार्यवाही कर अवगत करावे।

(जे. पी. गुप्ता)
संयुक्त पंजीयक,
सहकारी संस्थाऐं,मध्यप्रदेश
भोपाल,दिनांकः 11.3.11

क्रमांक/साख/विधि/47/11/638

प्रतिलिपिः—

प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल।
2— विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी माननीय सहकारिता मंत्री म.प्र. शासन,भोपाल
3— मुख्य महा प्रबंधक,रा.कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक,क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल।
4— प्रबंध संचालक,म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या0,भोपाल
5— संयुक्त पंजीयक,सहकारी संस्थाऐं,समस्त मध्यप्रदेश।
6— मुख्य कार्यपालन अधिकारी,समस्त जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक,म0प्र0

संयुक्त पंजीयक,
सहकारी संस्थाऐं,म0प्र0

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र.

क्रमांक/साख/विधि/47/10/2806 भोपाल दिनांक 14.11.11

प्रति,

उप/सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थायें
समस्त (म.प्र.)

विषयः— प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की आदर्श उपविधियों में संशोधन करने बाबत्।
संदर्भः— कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक साख/विधि/47/10/1876 भोपाल 18.08.2010

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र का अवलोकन हो। जिसके द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की प्रस्तावित संशोधित उपविधियॉ प्रेषित की गई थी, उक्त प्रेषित उपविधियों की उपविधि कमांक 30(1) एवं 30(3)(1) में नवीन शब्दावली प्रतिस्थापित की जाना है।

अतः अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की उपविधियों में उक्तानुसार संशोधन हेतु म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 12(1) के अन्तर्गत निश्चित समयावधि में कार्यवाही कर अवगत करावें।

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की उपविधियों में संशोधन का प्रारूप

क्र.	उपविधि कमांक	वर्तमान शब्दावली	संशोधित शब्दावली
1	2	3	4
1	30(1)	संस्था के कार्यो का प्रबंधन संचालक मण्डल द्वारा किया जायेगा जिसमें एक अध्यक्ष दो उपाध्यक्ष सहित कुल 13 निर्वाचित सदस्य होंगे। संचालक मण्डल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।	संस्था के कार्यो का प्रबंधन संचालक मण्डल द्वारा किया जायेगा जिसमें एक अध्यक्ष दो उपाध्यक्ष सहित कुल 13 सदस्य होंगे। संचालक मण्डल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।
2	30(3)(1)	संचालक मण्डल के 11 निर्वाचित सदस्य होगें जिनमे 2 सदस्य महिला होंगी।	संचालक मण्डल के 11 निर्वाचित सदस्य होगें जिनमे 1 सदस्य अमानतदारों में से होगा। कुल 11 निर्वाचित सदस्यों में सें 2 सदस्य महिला होंगी।

संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थायें म.प्र. 14.11.11

क्रमांक/साख/विधि/47/10/2806 भोपाल दिनांक

प्रतिलिपि :—

1. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान.सहकारिता मंत्री, म.प्र.शासन, भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक, रा0 कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक क्षेत्रिय कार्यालय भोपाल।
4. प्रबंध संचालक म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल।
5. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थायें समस्त म.प्र.।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. समस्त म.प्र.।

संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थायें म.प्र.

ओम/साख/विधि/डीआर 141111/15

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र.

कमांक/साख/विधि/47/12/57 भोपाल दिनांक 10.1.2012

प्रति,

उप/सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थायें
समस्त (म.प्र.)

विषयः— प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की आदर्श उपविधियों में संशोधन करने बावत्।

संदर्भः— कार्यालयीन परिपत्र कमांक साख/विधि/47/10/1876 भोपाल 18.08.2010 एवं 2805 दिनांक 14.10.2010

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र का अवलोकन हो। जिसके द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की प्रस्तावित संशोधित उपविधियॉ प्रेषित की गई थी, उक्त प्रेषित उपविधियों की उपविधि कमांक 11(ii) में नवीन शब्दावली प्रतिस्थापित की जाना है।

अतः अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की उपविधियों में उक्तानुसार संशोधन हेतु म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 12(1) के अन्तर्गत निश्चित समयावधि में कार्यवाही कर अवगत करावें।

(आयुक्त सहकारिता द्वारा अनुमोदित)

संलग्न –उपरोक्तानुसार।

(जे. पी. गुप्ता)
संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थायें म.प्र.

कमांक/साख/विधि/47/12/57 भोपाल दिनांक 10.1.2012

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य महाप्रबंधक, रा0 कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक क्षेत्रिय कार्यालय भोपाल।
2. प्रबंध संचालक म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल।
3. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थायें समस्त म.प्र.।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. समस्त म.प्र.।

संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थायें म.प्र.

संशोधन प्रारूप

उपविधि क्र.	वर्तमान शब्दावली	संशोधित शब्दावली	संशोधन का कारण
11(ii)	संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन मे मत देने एवं अभ्यर्थी होने का अधिकार ऋणी सदस्यों या ऐसे अमानतदार सदस्यों को होगा। यहां अमानतदार से अभिप्रेरित है जिसके खातें में कभी भी कम से कम लगातार दो वर्ष तक रूपये 1000/– या उससे अधिक जमा रहे हों। यहां ऋणी सदस्य से अभिप्रेत है जिस सदस्य ने अपनी सदस्यता अवधि में कभी भी ऋण लिया हो।	संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन मे मत देने एवं अभ्यर्थी होने का अधिकार कृषक सदस्यों तथा अमानतदार सदस्यों को होगा। यहां अमानतदार सदस्य से अभिप्रेरित है जिसके खातें में कभी भी कम से कम लगातार दो वर्ष तक रूपये 1000/– या उससे अधिक जमा रहे हों।	दिनांक 05.10.2007 को अधिनियम में संशोधन के कारण धारा 48(7) का लोप हो जाने से संचालक मडल के निर्वाचन में मत देने एवं अभ्यर्थी होने के लिए सदस्य के ऋणी होने की अनिवार्यता समाप्त हो गई है।

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश

कमांक/साख/विधि/14/1117 भोपाल, दिनांक 6·6·14

प्रति,

उप/सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाऐं
(समस्त) म0प्र0

विषय–प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की आदर्श उपविधियों मे संशोधन करने बाबत् ।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, एवं नियम 1962 में हुए संशोधनों के कारण प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की आदर्श उपविधियों मे संशोधन आवश्यक हो गया है ।

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की आदर्श उपविधि कमांक 2(ix), 24(i), 25(1), 26(15), 28, 29(1)(2)(3)(5)(6)(7)(8)(9)(10), 30(1)(2)(4)(6)(7), 31(10), 36(28), 38(17), 40(1)(2)(3)(4)(5) में नवीन शब्दावली का प्रारूप संलग्न प्रेषित है ।

प्रारूप का नियमानुसार विधि अनुरूप परीक्षण कर, आवश्यकतानुसार अपने कार्यक्षेत्र मे कार्यरत समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की उपविधियों मे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 12(1) के अंतर्गत उक्तानुसार संशोधन निश्चित समयावधि मे कर अवगत करायें ।

संलग्न– प्रस्तावित संशोधन का प्रारूप ।

(आयुक्त सहकारिता द्वारा अनुमोदित)

6/6/14
अपर आयुक्त
सहकारिता म0प्र0

कमांक/साख/विधि/14/1117 भोपाल, दिनांक 6·6·14

प्रतिलिपि–

1/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2/ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी माननीय सहकारिता मंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
3/ मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल ।
4/ प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल ।
5/ संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐं (समस्त) मध्यप्रदेश ।
6/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, (समस्त) मध्यप्रदेश ।

6/6/14
अपर आयुक्त
सहकारिता म0प्र0

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित.....की उपविधि

क्र.	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	
1			
2 2 (IX)	<u>परिभाषाएं:–</u> 'संचालक मंडल का अर्थ' अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत गठित संचालक मंडल जिसका गठन संस्था के कार्य संचालन हेतु हुआ हो।	 "संचालक मंडल" से अभिप्रेत है, धारा 48 के अधीन गठित किसी सहकारी सोसाइटी का कोई ऐसा शासी निकाय या प्रबंधन बोर्ड चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, जिसे किसी भी सोसाइटी के कार्यकलापों के प्रबंध का संचालन और नियंत्रण सौंपा गया हो।	
24 (i)	संचालक मंडल द्वारा संस्था की साधारण सभा की वार्षिक बैठक वर्ष में कम से कम एक वार अधिनियम की धारा 49 के प्रावधानों के अनुसार बुलाई जावेगी, जिसमें अधिनियम की धारा 49 में वर्णित विषय तथा संस्था की उपविधि में आम सभा हेतु नियत सभी विषयों तथा अन्य आकस्मिक विषयों पर विचार किया जायेगा।	संचालक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर साधारण सभा की वार्षिक बैठक अधिनियम की धारा 49 के प्रावधानों के अनुसार बुलाई जावेगी, जिसमें अधिनियम की धारा 49 में वर्णित विषय तथा उपविधि में साधारण सभा हेतु नियत सभी विषयों तथा अन्य आकस्मिक विषयों पर विचार किया जायेगा।	
25 (1)	प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा गत वार्षिक आम सभा की तिथि के 12 माह के भीतर बुलाई जावेगी। अर्थात एक बार वार्षिक आमसभा होना अनिवार्य होगा।	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक साधारण सभा बुलाया जाना आवश्यक होगा।	
26 (15)	<u>आमसभा के कार्य एवं विषय :</u>	 लेखाओं की संपरीक्षा हेतु पंजीयक द्वारा अनुमोदित पैनल में से संपरीक्षक की नियुक्ति करना।	

28	<u>निर्वाचन संचालन प्रक्रिया :</u> संस्था के निर्वाचन तथा आरक्षण की प्रक्रिया अधिनियम एवं नियम में वर्णित तत्संबंधी प्रावधानों के अनुरूप रहेगी तथा इसके लिये पंजीयक द्वारा तत्संबंधी जारी विस्तृत दिशा–निर्देश एवं मार्गदर्शन का संस्था पालन करेगी संस्था के निर्वाचन अधिकारी को उक्त अधिनियम, नियम एवं पंजीयक के दिशा–निर्देशों एवं मार्गदर्शन के अध्याधीन निर्वाचन सम्पन्न करानें होगें।	<u>निर्वाचन संचालन प्रक्रिया :</u> संस्था के निर्वाचन तथा आरक्षण की प्रक्रिया अधिनियम एवं नियम में वर्णित तत्संबंधी प्रावधानों के अनुरूप रहेगी तथा इसके लिये मध्य प्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा तत्संबंधी जारी विस्तृत दिशा–निर्देश एवं मार्गदर्शन का संस्था पालन करेगी संस्था के निर्वाचन अधिकारी को उक्त अधिनियम, नियम एवं पंजीयक के दिशा–निर्देशों एवं मार्गदर्शन के अध्याधीन निर्वाचन सम्पन्न कराने होगें।
29	<u>पंजीयक द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन :</u>	<u>मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन :</u>
(1)	प्रत्येक संस्था अपने निर्वाचन ड्यू होने के 90 दिन पूर्व अपने निर्वाचन कराने हेतु, संस्था के संचालक मंडल के संकल्प के साथ पंजीयक को लिखित आवेदन प्रस्तुत करेगी।	प्रत्येक संस्था अपने निर्वाचन ड्यू होने के चार माह पूर्व अपने निर्वाचन कराने हेतु, संस्था के संचालक मंडल के संकल्प के साथ मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन प्राधिकारी को लिखित आवेदन प्रस्तुत करेगी।
(2)	पंजीयक संचालक कार्यकाल समाप्ति के 90 दिन के अंदर समिति का निर्वाचन सम्पन्न करा सकेगें।	मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन प्राधिकारी संचालक मंडल के कार्यकाल समाप्ति के पूर्व संचालक मंडल का निर्वाचन सम्पन्न करा सकेंगे।
(3)	यदि उपरोक्त अवधि में पंजीयक निर्वाचन नहीं करा पाये तो संस्था नियमानुसार स्वयं निर्वाचन करायेगी।	विलोपित
(5)	यह भी कि संस्था अपने निर्वाचन अपने संचालक मंडल के कार्यकाल समाप्ति के 90 दिन पश्चात से 180 दिन के पूर्व करा सकेगी। यदि संस्था ने पंजीयक के असफल रहने के पश्चात निर्धारित अवधि में अपने निर्वाचन सम्पन्न कराकर	विलोपित

	नवीन निर्वाचित प्रबंध समिति को प्रभार नहीं सौंपा तो वह अपने कार्यकाल समाप्ति के 180 दिन के बाद अपना प्रभार पंजीयक को सौंप देगी ।		
(6)	यदि बर्हिगामी संचालक मंडल ने निर्धारित समय के पश्चात अपना प्रभार पंजीयक को नहीं सौंपा तो यह माना जावेगा कि पंजीयक ने संस्था का यह प्रभार ग्रहण कर लिया है अर्थात अपने कार्यकाल समाप्ति के 180 दिन पश्चात कोई संचालक मंडल संस्था में कार्यरत नहीं रह सकेगी।		विलोपित
(7)	यदि कोई बर्हिगामी संस्था अपने कार्यकाल समाप्ति के 180 दिन पश्चात पंजीयक को प्रभार नहीं सौंपते हुए, स्वयं कार्य करता रहता है तो वह समस्त कार्य अवैध एवं अधिकारिता विहीन होगें, तथा इससे संस्था को होने वाली किसी क्षति के लिये वह समिति उत्तरदायी होगी ।		विलोपित
(8)	बर्हिगामी समिति से प्रभार ग्रहण करने या ग्रहण किया माने जाने के पश्चात पंजीयक अपनी ओर से संस्था के कार्य संचालन हेतु एक प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा, जो कि पंजीयक के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करेगा।		विलोपित
(9)	पंजीयक ऐसा प्रभार ग्रहण करने के पश्चात यथाशीघ्र संस्था के नवीन निर्वाचन करायेगा।		विलोपित

(10)	यह भी कि यदि संस्था ने अपने निर्वाचन ड्यू होने के 90 दिन पूर्व संकल्प पारित कर पंजीयक से निर्वाचन हेतु निवेदन किया तो पंजीयक प्रबंध समिति के कार्यकाल समाप्ति होने के अगले दिन ही प्रभार ग्रहण कर लेगा तथा संचालक मंडल अपना प्रभार पंजीयक को सौंप देगी । यदि वे ऐसा नहीं करती है तो उसके पश्चात उसके द्वारा किये गये समस्त कार्य अवैध होगें।	विलोपित	
30.	<u>संचालक मंडल का गठन :</u>		
(1)	संस्था के कार्यो का प्रबंधन, संचालक मंडल द्वारा किया जावेगा, जिसमें एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष सहित कुल 13 निर्वाचित सदस्य होगें। संचालक मंडल का कार्यकाल 5 वर्ष होगा।	संस्था के कार्यो का प्रबंधन, संचालक मंडल द्वारा किया जावेगा, जिसमें एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष सहित कुल 11 सदस्य होंगे। संचालक मंडल का कार्यकाल 5 वर्ष होगा।	
(2)	संचालक मंडल के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एवं दो उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। दो उपाध्यक्षों में से एक महिला होगी तथा शेष अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के पदों हेतु वर्गवार आरक्षण अधिनियम में उल्लिखित अनुसार होगा।	संचालक मंडल के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एवं दो उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। बैंकिंग, प्रबंधन, वित्त के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्ति या सोसाइटी द्वारा हाथ में लिये जाने वाले उद्देश्यों तथा गतिविधियों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति, संचालक मंडल के सदस्य के रूप में सहयोजित किये जायेंगे। परन्तु ऐसे सहयोजित सदस्य 2 से अधिक नहीं होंगे।	
(4)	संचालक मंडल में निर्वाचित 11 सदस्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/महिला वर्ग तथा अनारक्षित पदों में संगणना अधिनियम की धारा 48, 48 क तथा अन्य धारा व नियमों में तत्समय प्रभावी	संचालक मंडल में निर्वाचित 11 सदस्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग तथा अनारक्षित पदों में संगणना अधिनियम की धारा 48, 48 क तथा अन्य धारा व नियमों में तत्समय प्रभावी प्रावधानों के अनुसार पंजीयक द्वारा	

	प्रावधानों के अनुसार पंजीयक द्वारा की जावेगी। उसके असफल रहने पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जावेगी।	की जावेगी। उसके असफल रहने पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जावेगी।	
(6)	ऐसे रिक्त पद की पूर्ति सहयोज़न से होगी जो कि इस हेतु बुलाई गई बैठक में, पंजीयक द्वारा इस हेतु नियुक्त अधिकारी की अध्यक्षता में होगी संस्था ऐसे अधिकारी की नियुक्ति हेतु पंजीयक से संकल्प पारित कर, उसकी प्रति भेजकर निवेदन करेगी।	संचालक मंडल, यदि संचालक मंडल की अवधि उसकी मूल अवधि से आधे से कम है, तो सदस्यों के उसी वर्ग से, जिसके कि संबंध में आकस्मिक रिक्ति उद्भूत हुई है, नाम निर्देशन द्वारा आकस्मिक रिक्ति भर सकेगा।	
(7)	यह कि संस्था की ओर से अन्य संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रतिनिधियों का निर्वाचन संचालक मंडल के निर्वाचित सदस्य अपने में से अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन के समय करेगें। प्रतिनिधि किस वर्ग का होगा, यह अधिनियम की धारा 48 'ख' के अनुसार पंजीयक द्वारा निर्धारित किया जावेगा। ऐसे प्रतिनिधि को संस्था तब तक वापस नहीं बुला सकेगी जब तक संस्था का नवीन निर्वाचन न हो जावे ।	यह कि संस्था की ओर से अन्य संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रतिनिधियों का निर्वाचन संचालक मंडल के निर्वाचित सदस्य अपने में से अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन के समय करेंगे। ऐसे प्रतिनिधि को संस्था तब तक वापस नहीं बुला सकेगी जब तक संस्था का नवीन निर्वाचन न हो जावे ।	
31.	<u>संचालक बनने की पात्रता एवं संचालकत्व बनाये रखने की शर्त :</u>		
(10)	अधिनियम की धारा 49, 50 अथवा 53 में अयोग्यता धारण करने पर उस कालावधि के लिये जैसा कि आदेश में दर्शित हो ।	अधिनियम की धारा 50 अथवा 53 में अयोग्यता धारण करने पर उस कालावधि के लिये जैसा कि आदेश में दर्शित हो।	

36. (28)	<u>प्रबंध समिति की शक्तियां एवं कार्य :</u> पंजीयक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, अंकेक्षक, वित्तदायी बैंक तथा ऐसी संघीय संस्था, जिसकी वह संस्था सदस्य हो, के अधिकारियों को संस्था के निरीक्षण हेतु कागजात, रजिस्टर प्रस्तुत करना और उनके पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अपना पालन प्रतिवेदन और उत्तरों को साधारण सभा में प्रस्तुत करना । यह भी कि वित्तीय वर्ष समाप्ति के एक वर्ष के अंदर अंकेक्षण पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।	पंजीयक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, अंकेक्षक, वित्तदायी बैंक तथा ऐसी संघीय संस्था, जिसकी वह संस्था सदस्य हों, के अधिकारियों को संस्था के निरीक्षण हेतु कागजात, रजिस्टर प्रस्तुत करना और उनके पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अपना पालन प्रतिवेदन और उत्तरों को साधारण सभा में प्रस्तुत करना । यह भी कि वित्तीय वर्ष समाप्ति के छह माह के अंदर अंकेक्षण पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।
38. (17)	<u>मुख्य कार्यपालन अधिकारी (प्रबंधक) की शक्तियां एवं कार्य</u> : –	रजिस्ट्रार को ऐसी जानकारी तथा ऐसी विवरणियां, जैसी कि रजिस्ट्रार आदेश द्वारा समय–समय पर अपेक्षित करे, ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर देना।
40. (1) (2)	<u>अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं कार्य और अंकेक्षण करने की प्रक्रिया :</u> संस्था का अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेंट या पंजीयक द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा सहकारी वर्ष समाप्ति के एक वर्ष के अंदर किया जायेगा। संस्था अपने वित्तीय पत्रक एवं अन्य वित्तीय पत्रक वर्ष समाप्ति के 3 माह के भीतर जिले के उप/सहायक पंजीयक व अंकेक्षक को देंगे। संस्था पंजीयक द्वारा नियुक्त अंकेक्षक अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेंट से अंकेक्षण हेतु विकल्प जिले के उप/सहायक पंजीयक को 30 जून तक प्रस्तुत करना होगा। यदि	संस्था का अंकेक्षण पंजीयक द्वारा अनुमोदित पैनल में से आमसभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा सहकारी वर्ष समाप्ति के छह माह के अंदर किया जायेगा। संस्था अपने वित्तीय पत्रक एवं अन्य वित्तीय पत्रक वर्ष समाप्ति के 3 माह के भीतर जिले के उप/सहायक पंजीयक व अंकेक्षक को देंगे। विलोपित

(50)

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म.प्र. भोपाल

क्रमांक/साख/विधि/2016/13 भोपाल दिनांक 3-1-2017

प्रति,

उप/सहायक पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं,
समस्त (म.प्र.)

विषयः प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की आदर्श उपविधियों में संशोधन करने बावत् ।

—0—

सहकारी मंथन 2016 में की गई अनुशंसा क्रमांक – 19, 25 58 एवं 59 के अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की आदर्श उपविधियों में संशोधन आवश्यक हो गया है ।

अतः प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की आदर्श उपविधि क्रमांक 3(24), 26(16) तथा 30(3) में नवीन शब्दावली का प्रारूप संलग्न प्रेषित है । प्रस्तावित संशोधन का अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की उपविधियों में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा – 12 (1) के नियमानुसार संशोधन निर्धारित समयावधि में कर अवगत करावें ।

संलग्नः– प्रस्तावित संशोधन का प्रारूप.

अपर आयुक्त,
सहकारिता म0प्र0

क्रमांक/साख/विधि/2016/13 भोपाल दिनांक 3-1-2017

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मान्नीय सहकारिता मंत्री म.प्र. शासन भोपाल ।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. भोपाल ।
4. प्रबन्ध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल ।
5. संयुक्त आयुक्त, सहकारी संस्थाएं (समस्त) म.प्र. ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित (समस्त) म.प्र.।

अपर आयुक्त,
सहकारिता म0प्र0

Desktop Credit Section

(51)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित.....की उपविधि

उपविधि क्रमांक	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	संशोधन का कारण
1	2	3	4
3 (24)	नवीन प्रावधान	(24) कार्यक्षेत्र में सेवा प्रदाता एवं इन्श्योरेंस का कार्य करना।	सहकारी मंथन 2016 से में की गई अनुशंसा क्रमांक 58 एवं 59 के परिप्रेक्ष्य में।
26 (16)	नवीन प्रावधान	(16) वित्तीय वर्ष में कृषकवार ऋण वितरण, कालातीत ऋणी सदस्यों के नाम एवं उन पर बकाया राशि, संबंधित वित्तीय वर्ष में सदस्यवार बीमा क्लेम की राशि, शासन द्वारा प्रायोजित किसी योजना यथा ऋण राहत/ऋण माफी/प्राकृतिक आपदा राहत/अन्य की सदस्यवार प्राप्त राशि की जानकारी के गोसवारे का अनिवार्य रूप से वाचन किया जावे तथा विस्तृत जानकारी संस्था के सूचना पटल पर चस्पा किया जावे।	सहकारी मंथन 2016 से में की गई अनुशंसा क्रमांक 25 के परिप्रेक्ष्य में।
30 (3)	संचालक मण्डल में निम्नानुसार सदस्य होंगे :– 1. निर्वाचित सदस्य ग्यारह, जिसमें दो महिलाए होगी। 2. वित्तदायी संस्था का नामांकित सदस्य – एक 3. संस्था का मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रबंधक पदेन–एक।	संचालक मण्डल में निम्नानुसार सदस्य होंगे :– 1. निर्वाचित सदस्य ग्यारह, जिसमें दो महिलाए होगी। 2. वित्तीय संस्था नामांकित सदस्य–एक 3. संस्था का मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रबंधक पदेन–एक 4. जिले के उप/सहायक पंजीयक द्वारा नामांकित जो कार्यपालक तृतीय श्रेणी कर्मचारी के पद से निम्न न हो– एक	सहकारी मंथन 2016 से में की गई अनुशंसा क्रमांक 19 के परिप्रेक्ष्य में।

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश

क्रमांक/साख/विधि/17/168 भोपाल, दिनांक 19-1-2017

प्रति,

उप/सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाऐं
समस्त (मध्यप्रदेश)

विषय–प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की आदर्श उपविधियों मे संशोधन करने बाबत् ।

संदर्भ– कार्यालयीन पत्र क्रमांक/साख/विधि/2016/13, दिनांक 03.01.2017

———

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । संदर्भित पत्र के संलग्न प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की आदर्श उपविधियों मे संशोधन हेतु आदर्श उपविधि क्रमांक 3(24), 26(16) तथा 30(3) मे नवीन शब्दावली का प्रारूप प्रेषित किया गया है ।

म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम – 1960 की धारा 52(5) (ग) मे प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के संचालक मंडल में राज्य सरकार का कोई भी नाम निर्देशिती नही होने का प्रावधान होने से आदर्श उपविधि क्रमांक 30(3) मे संशोधन की कार्यवाही निरस्त की जाती है, शेष उपविधियों मे नियमानुसार संशोधन कर निश्चित समयावधि मे अवगत करावें ।

(कवीन्द्र कियावत)
आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाऐं म.प्र.

.....2

कमांक/साख/विधि/17/163 भोपाल, दिनांक 19-1-2017

प्रतिलिपि–

1/ प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल
2/ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय सहकारिता मंत्री म.प्र. शासन भोपाल
3/ मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. भोपाल
4/ प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल ।
5/ संयुक्त आयुक्त सहकारिता समस्त मध्यप्रदेश ।
6/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश